ISSN: 2348-5558

शिक्षा संवाद

शैक्षिक विमर्श एवं साहित्य की पत्रिका

वर्ष: 8, अंक: 01-02, जनवरी-दिसम्बर, 2021
सयुंक्त अंक

संपादकीय सलाहकार : डॉ. चाँद किरण सलूजा
संपादक: डॉ. वीरेंद्र कुमार चंदोरिया
सह-संपादक : डॉ.पूजा सिंह

शिक्षा संवाद

शैक्षिक विमर्श एवं साहित्य की पत्रिका

ISSN: 2348-5558

(Peer-Reviewed)
Refereed Journal

अर्ध-वार्षिक

वर्ष: 8/ अंक: 01-02/ जनवरी-दिसम्बर, 2021
सयुंक्त अंक

प्रकाशन की तिथि
31 दिसम्बर, 2021

सम्पादकीय सलहाकार
डॉ. चाँद किरण सलूजा

सम्पादक
डॉ. वीरेंद्र कुमार चंदोरिया

सह- सम्पादक
डॉ. पूजा सिंह

संवाद शिक्षा समिति, दिल्ली का प्रकाशन, दिसम्बर-2021

पत्रिका के सर्वाधिकार शिक्षा संवाद के पास है। इस पत्रिका का गैर-व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते हुए सम्पादक व प्रकाशक का ज़िक्र करना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए, मसलन, पाठ की रीमिक्सिंग, उसमें बदलाव या उसे आधार बनाते हुए कुछ करने के लिए प्रकाशक व सम्पादक से अनुमति लेना ज़रूरी है।

शिक्षा संवाद

शैक्षिक विमर्श एवं साहित्य की पत्रिका

वर्ष: 8/ अंक: 01-02/ जनवरी-दिसम्बर, 2021

सयुंक्त अंक

सम्पादकीय सलहाकार: डॉ. चाँद किरण सलूजा

सम्पादक: डॉ. वीरेंद्र कुमार चंदोरिया

सह- सम्पादक: पूजा सिंह

सम्पादन मण्डल : सदस्य

प्रो. लोकनाथ मिश्रा, मिज़ोरम विश्वविद्यालय, मिज़ोरम

डॉ. आभा श्री, सह-आचार्या,मिज़ोरम विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. प्रवीण कुमार, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एडुकेशन, दिल्ली

डॉ. रितेश सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इक्नॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. हेदर अली, शिक्षा संकाय,मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, तेलंगाना

संपर्क

शिक्षा संवाद

RZ-673/135, गली न. 19A, साध नगर, पार्ट -2, पालम कालोनी, नई दिल्ली 110045.

दूरभाष - 09868210822. (सम्पादक), ई मेल - sheakshiksamwad@gmail.com

सदस्यता राशि

	व्यक्तिगत	संस्थागत
एक प्रति	250	350
वार्षिक (2 प्रतियाँ)	400	600
दो -वर्षीय (4 प्रतियाँ)	800	1200
तीन वर्षीय (6 प्रतियाँ)	1000	1600
आजीवन (प्रकाशन तक)	15000	20000

शिक्षा संवाद की सदस्यता के लिय केवल बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से 'संवाद शिक्षा समिति' दिल्ली के नाम भेजें।

आवरण चित्र : शिखा ने इंटरनेट और केनवा की मदद से बनाया है।

पाठकों एवं लेखकों हेतु दिशानिर्देश एवं शोध नियमावली

शिक्षा संवाद

शैक्षिक विमर्श एवं साहित्य की पत्रिका

'समकक्ष व्यक्ति समीक्षित जर्नल'

(PEER REVIEWED-REFEREED JOURNAL)

ISSN: 2348-5558

शोध आलेख भेजने संबंधी ज़रूरी निवेदन

नमस्कार,

शिक्षा संवाद अर्ध-वार्षिक पत्रिका है। एक वर्ष में दो सामान्य अंक 30 जून, और 31 दिसम्बर को छपते हैं। रचना प्रकाशन हेतु स्वीकृत हुई या नहीं इसकी जानकारी प्रकाशन की तारीख के पंद्रह दिन पहले ही दी जाती है इससे पूर्व नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हम नीचे कुछ सामान्य सूचना इस प्रकार है-

(1) **आलेख का क्षेत्र:** शिक्षा और साहित्य

(2) **प्रकाशन का स्वरुप** :हमारी पत्रिका वर्तमान प्रकाशन तक केवल प्रिंट वर्जन में ही उपलब्ध है। हम छापकर कोई या किसी भी प्रकार का पीडीऍफ़ वर्जन भी नहीं भेज पाते हैं। सदस्यता के अनुसार तथा मांग के अनुरूप ही प्रतियां हम छपवाते हैं जिन्हें आपको प्रकाशक से खरीदनी होती है। हमारी पत्रिका कोई भी इम्पेक्ट फेक्टर स्केल अभी तक जनरेट नहीं किया गया है।

(3) **सामान्य अंक विशेषांक** /: हम हमेशा सामान्य अंक ही प्रकाशित करते हैं। भविष्य में विशेषांक प्रकाशित करने की योजना आवश्य है। जब भी विशेषांक लाने की योजना होगी तो पाठकों एवं लेखकों को पत्रिका के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(4) **तकनीकी पक्ष:** एक बार यदि आपकी कोई रचना शिक्षा संवाद के किसी अंक में प्रकाशित होती है तो उसके तुरंत बाद वाले अंक में आपकी रचना प्रकाशित नहीं होगी। हम 'एक वर्ष - एक रचना' की नीति का अनुसरण करते हैं। ऐसा करके हम अधिक लेखकों तक तथा अधिक पाठकों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। कुछ अन्य तकनीकी पक्ष जिनका ध्यान रखा जन चाहिए-

- भाषा हिंदी केवल : (नोट :शिक्षा संवाद में अंग्रेजी में आलेख नहीं छापे जाते हैं)
- फॉण्ट : केवल Unicode-kokila
- फॉण्ट साइज़ : 18

- सन्दर्भ एंड नोट : (फूट नोट अस्वीकार्य हैं।)
- फाइल वर्ड :2007 - 2010
- पीडीऍफ़ फाइल नहीं भेजें।
- आलेख वाट्स एप पर स्वीकार नहीं कर सकेंगे।
- स्पेसिंग :Top 1 cm, Bottom 1 cm, Left 1 cm, Right 1 cm
- शोध : सार-150 शब्द
- 'बीज शब्द/ Key Words' : न्यूनतम 5
- आलेख के अंत में निष्कर्ष अवश्य हो।
- सन्दर्भ में लिखने का नियम: APA 6 केवल
- लेखक का नाम, पद, पता, ईमेल-, मोबाइल नंबर आलेख के अंत में ज़रूर लिखें।
- हमारा ई: मेल पता है- shaikshiksamwad@gmail.com
- वर्तनी की अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखें। आलेख में वर्तनी की अशुद्दियां होने पर आलेख अस्वीकृत होने के सर्वाधिक अवसर मौजूद रहते हैं।

(5) संलग्न /Attachments

- आलेख की मौलिकता और अप्रकाशित होने का सत्यापन। आप लेख भेजते समय लेख के साथ ही ईमेल - में ही लिखकरभेज सकते हैं अथवा प्रयास करें की यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी Plagrismsoftwere से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न करें तो बेहतर होगा
- आपका फोटो और आलेख में शामिल फोटो, सारणियाँ, टेबल्स, ग्राफ आदि अलग से अटैच करके भेजें।
- आपका कोई एक पहचान पत्र जिसमें फोटो लगा हुआ हो।

(6) प्राथमिकता: सबसे पहले आलेख शामिल करते समय हम अपनी पत्रिका के सदस्यों को प्राथमिकता देते हैं। आपका आलेख स्वीकृत होने पर ही हम सदस्य बनने की अपील आपको भेजेंगे।

(7) अंतिम निर्णय: सामग्री चयन, सम्पादन और प्रकाशन का अंतिम निर्णय सम्पादक मंडल का रहेगा। हम आपकी रचना में सम्पादन के दौरान अपनी तरफ से कोई अंश जोड़ेंगे नहीं पर कुछ अंश ज़रूरत के अनुसार काट-सकेंगे। हटा हुए करते छाँट शोध पत्रों के मामले मे समीक्षकों की समीक्षा अनुसार ही निर्णय नैया जाएगा।

(8) स्वैच्छिक : आपको अपनी शिक्षा संवाद के प्रकाशित एक अंक या चयनित रचनाएँ पढ़कर एक पृष्ठ की लिखित टिप्पणी भेजनी होगी कि इस पत्रिका को लेकर आपकी राय क्या है? ताकि हम यह जान सकें कि आप पत्रिका की वैचारिकी से परिचित हैं कि नहीं।

(9) चयन का प्रोसेज:

Screening

- शिक्षा संवाद में सबसे पहले प्राप्त रचना को सम्पादक द्वारा स्क्रीन करके चुना जाता है। इस स्तर पर रचना अस्वीकृत होते ही लेखक को तुरंत जवाबी ई मेल-भेजते हैं। हमारे यहाँ यह स्क्रीनिंग कहलाता है।

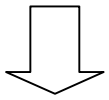

Review Process

- चयनित रचनाओं को सम्बंधित एक्सपर्ट या एक्सपर्ट के पैनल के पास भेजा जाता है जो कंटेंट पर फाइनल निर्णय लेते हैं। इसे रिव्यू कहते हैं। जानकार व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकारते हुए रचनाकार के लिए संक्षिप्त टिप्पणी के साथ आलेख को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। यह निर्णय अनंतिम माना जाता है।

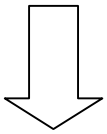

Proof Reading

- तीसरी स्टेज पर हमारे सह करके सम्पर्क से लेखक लिए के अपडेट संबंधी कंटेंट और फोर्मेट सम्पादक- होता करना सहयोग का पत्रिका से लिहाज के गुणवत्ता को रचनाकार यहाँ हैं। बनाते योग्य छपने को रचना है। यहाँ भी गुणवत्ता बनाए रखने के क्रम में आलेख को ज्यादा दिक्कतभरा होने पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

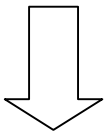

Ready to Print

- यहीं अंतिम रूप से चयनित रचना की प्रूफ रीडिंग की जाती है। अंक छपने की तारीख से दस दिन पहले सभी रचनाएँ तकनीकी टीम के पास प्रकाशन हेतु भेजी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सम्बंधित लेखक को लगातार अपडेट करने का प्रयास करते हैं। अंक छपने के बाद लेखक को प्रकाशित रूप को चेक करने के लिए ईमेल से शेयर किया जाता है। सभी की संतुष्टि के बाद अनुक्रमणिका जारी की जाती है।

प्रूफ हेतु ध्यान रखने योग्य बातें

1. सबसे उपर पहले विधा का नाम लिखें जैसे कविता -, शोध आलेख, आलेख, साक्षात्कार या कहानी आदि।
2. पहली पांच पंक्तियों में ही अगर वर्तनी की भारी अशुद्धियाँ हैं तो आलेख का अस्वीकृत होना तय हो जाएगा।
3. शुरुआती रिव्यू में भी चयन का एक ज़रूरी आधार वर्तनी की शुद्धता है।
4. रचना का शीर्षक और लेखक का केवल नाम लिखकर बोल्ड कर दें।
5. 'शोध सार' को बोल्ड करें।
6. 'बीज शब्द' को बोल्ड करें।
7. प्रत्येक पैरेग्राफ के बाद एक इंटर का गेप रखें।

8. पैरेग्राफ की शुरुआत में एक टैब लगाएं।
9. पूरे आलेख में किसी तरह की फोर्मेटिंग से बचें।
10. गणित के अंक अंतर्राष्ट्रीय मानक संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, में ही लिखें।
11. प्रत्येक सन्दर्भ जब हू हू कहीं से लिया गया है तो-ब-"...." कौमा के अंदर लिखें। संदर्भ समाप्त होने पर संदर्भ संख्या लिखें जैसे 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, और इसका विस्तृत संदर्भ आलेख के अंत में उसी क्रम से सूचीबद्ध करें।
12. आलेख की वर्ड फाइल में अपना खुद का फोटो इन्सर्ट न करें।
13. प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिहन अंतिम शब्द के तुरंत बाद चिपका हुआ हो न कि एक स्पेस के बाद। इसी तरह अल्प विराम),) भी शब्द से चिपका हुआ हो और उसके बाद एक स्पेस ज़रूर हो।
14. ( ) के बीच लिखे शब्दों से यह कोष्ठक एकदम सटे हुए हों।
15. (-) योजक चिहन के दोनों तरफ के शब्द योजक चिहन से सटे हुए हों न कि एक स्पेस के बाद।
16. प्रत्येक शब्द के बीच सिंगल स्पेस हो न कि इससे ज्यादा अनावश्यक स्पेस।
17. आलेख में ज़रूरी सन्दर्भ के अलावा अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
18. 'मूल आलेख' शब्द बोल्ड करें।
19. आलेख में जितने भी उपशीर्षक- आते हैं उन्हें बोल्ड किया जा सकता है।
20. कवितांश के अलावा किसी भी रेफरेंस को बोल्ड नहीं करना हैं ।
21. आलेख के अंत में 'निष्कर्ष' ज़रूर लिखना है।
22. याद रहे शोधसार- और निष्कर्ष में किसी भी रेफरेंस का उपयोग नहीं करना वह एकदम आपकी अपनी भाषा में हों तो बेहतर रहेगा।
23. शोध आलेख न होकर साधारण आलेख होने परशोधसार बीजशब्द-निष्कर्ष आदि तकनिकी पक्षों से छूट मिलेगी।
24. 'सन्दर्भ' बोल्ड करके लिखें और सूची बनाकर समस्त संदर्भ पुस्तक के लेखक का नाम, लेखक का उपनाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या क्रम से लिखें।
25. आलेख के अंत में पांच पंक्ति का पता लिखना हैं जहां क्रम से अपना नाम, पद, संस्था, शहर, ईमेल-, मोबाइल नंबर बोल्ड अक्षरों में लिखना हैं।
26. पूरेआलेख का फॉण्ट एक ही तरह का 'Unicode-Kokila' हो और साइज़ भी एक जैसी ही '18' रखनी है।
27. पूरा आलेख 'जस्टिफाइड' हो न कि लेफ्ट या राईट अलाइनमेंट के साथ।
28. सन्दर्भ लिखने में हमारी नियमावली का पालन शत प्रतिशत करना ही है।

अनुक्रम

लेखकों हेतु दिशानिर्देश 3

संपादकीय/संवाद

- पूजा सिंह 9

संवाद

- वंचितों की शिक्षा : ज्योतिराव फुले 11

कहानी

- प्लेग की चुड़ैल : मास्टर भगवानदास 23

आलेख

- आपदा का अवसर : स्कूली शिक्षा पर कोविड़ के प्रभाव : प्रीति सिंह 35
- कोविड़ के दौरान श्रमिकों का महानगरों से पलायन : राजेन्द्र कुमार 43
- कोविड़ में स्वास्थ्य सेवाएँ : दिनेश कुमार 51

अनुभव

- एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा अनुभव: चंचल 59

कविता

- कोविड़ का साया: शिखा 61

इस पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों केहैं। संपादन मंडल और पत्रिका से जुड़े सदस्यों की इन विचारों से सहमति हो यह ज़रूरीनहीं है।

संवाद

कोविड ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे हाथ धोना और मास्क पहनना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं। यह महामारी हमें स्वस्थ रहने के उपायों के प्रति जागरूक करती है। कोविड के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ और इससे पर्यावरण को कुछ हद तक राहत मिली। यह हमें यह सिखाता है कि हमे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है और प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। महामारी के दौरान लोगों ने एक-दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और मदद का अनुभव किया। यह हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में एकजुट होना और एक-दूसरे का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड ने डिजिटल शिक्षा और कामकाजी मॉडल को बढ़ावा दिया। यह हमें यह सिखाता है कि तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग हमें कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। कोविड ने हमें यह एहसास दिलाया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए। इससे पहले, हम अक्सर इन पहलुओं को नजरअंदाज कर देते थे। लॉकडाउन के दौरान परिवार के साथ समय बिताने की अहमियत का अहसास हुआ। हमे एहसास हुआ कि काम और आराम के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। महामारी के दौरान लोगों ने अपनी दिनचर्या में लचीलापन दिखाया। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता हमारी मानसिक मजबूती और लचीलापन पर निर्भर करती है। इन सीखों के माध्यम से, हम अपने जीवन को और अधिक स्वास्थ्य, सहयोग, और जिम्मेदारी के साथ जी सकते हैं।

संकट की इस घड़ी में हम भी पत्रिका के लिए लेखों की अल्पता से जूझ रहे हैं, इस बार भी यह पत्रिका का सयुंक्त अंक है। इसी कड़ी में संवाद के इस अंक में हमने प्रयास किया है कि हम महामारी से जुड़े विचारों को पाठकों के सामने रखें। वंचितों की शिक्षा के नाम से प्रकाशित ज्योतिराव फुले का पत्र जो उन्होने वंचित वर्ग के लोगों की शिक्षा के लिए लिखा था। इस लेख का अनुवाद संपादक वीरेंद्र जी ने किया है। यह लेख शिक्षा के वर्चस्व जो उच्च जातियों के लोगों तक ही सीमित है, को तोड़ने का प्रयास करता है। इसी कड़ी में मास्टर भगवान दास की कहानी जो प्लेग महामारी पर आधारित है की कहानी प्लेग की चुड़ैल प्रस्तुत केआर रहे हैं। आपदा का अवसर नाम से लेख प्रीति सिंह की कलम से लिखा गया है। इससे अगला लेख कोविड़ के दौरान श्रमिकों का महानगरों से पलायन शीर्षक का वैचारिक लेख शिक्षा में नए अवसरों को तलाशने की पृष्ठभूमि का है जो कि राजेन्द्र कुमार ने लिखा है। दिनेश ने स्वास्थ्य सुविधाओं की सुध अपने लेख से ली है। चंचल ने अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति दी है। अंत में नई उभरती कवित्री शिक्षा की एक सुदर कविता 'कोविड़ का साया' है जो डर के साथ उम्मीद के भाव-विचार के साथ लिखी गई है।

अब दो शब्द आपसे आप हमे इस पत्रिका को बेहतर बनाने के लिए, अपने विचारों को रखने और अपने अनुभवों को सांझा करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते है कि आप हमे पत्रिका के इस अंक पर अपने विचारों से अवगत कराएं। इसके लिए आप हमे पत्र द्वारा, इ-मेल द्वारा या दूरभाष पर भी संपर्क कर सकते हैं। पत्रिका आपके सहयोग से चलती है इसलिए आप अपने मित्रों को, शिक्षकों को बच्चों को पत्रिका के बारे में बताएं , उनसे पत्रिका को पढ़ने को कहें और आप उन्हे पत्रिका उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। आप पत्रिका की सदस्यता अवश्य लें। अगले अंक की प्रतीक्षा के साथ धन्यवाद।

आपकी

पूजा सिंह

शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 11-21
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

संवाद

वंचितों की शिक्षा

ज्योतिराव फुले

भारत के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने शिक्षा आयोग, 1882 को दिए अपने वक्तव्य में सरकार की शिक्षा नीति, जिसने जनसाधारण को ''उपेक्षा और निर्धनता में घुटने'' के लिए छोड़ दिया है, को उच्च वर्ग के अनुकूल बताया है और उसमें सुधार करने के लिए उपाय सुझाए हैं।

मेरा मुख्य अनुभव इन स्कूलों [उनके द्वारा पूना में निम्न वर्ग के लिए खोले गए स्कूलों -संपादित] से प्राप्त हुआ था। मैंने इस प्रेसीडेंसी में उपलब्ध प्राथमिक शिक्षा पर भी कुछ नजर डाली, और शिक्षा विभाग के निम्नतर स्कूलों के सिस्टम और उनमें नियोजित कार्मिकों के बारे में राय बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने कुछ वर्ष पूर्व एक मराठी पैम्फलेट लिखा था जिसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, जिसमें उच्चतर शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक निधियां प्रदान करके केवल ब्राह्मणों तथा उच्च वर्गों को शिक्षा प्रदान की जाती है और अधिसंख्य लोगों को उपेक्षा एवं गरीबी में घुटने के लिए छोड़ दिया जाता है, में ब्राह्मणों के फैलाए हुए धार्मिक कर्मकांडों और संयोग से अन्य मामलों का खुलासा किया था। मैंने पुस्तक के अंग्रेजी आमुख में अभिव्यक्त विचारों का सारांश लिखा, जहां तक उसका संबंध वर्तमान जांच से है, उसके अंशों को मैं यहां उद्धृत करता हूँ—

संभवत: मामले के इस हद तक बिगड़ जाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित ही होगा। उच्चतर शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक निधियां प्रदान करने और अधिसंख्य लोगों की उपेक्षा करने के पीछे उनके उद्देश्य जो कुछ भी रहे हों, सभी को यह बात स्वीकार्य होगी कि अधिसंख्य लोगों के प्रति न्याय की बात की जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तथ्य सभी स्वीकार करते हैं कि भारतीय साम्राज्य के राजस्व का अधिकांश भाग खेतिहर श्रमिकों से- उनके गाढ़े पसीने से- प्राप्त होता है। उच्च और धनाढ्य वर्ग राज्य के खजाने में या तो बहुत थोड़ा योगदान करते हैं या करते ही नहीं हैं। एक विद्वान अंग्रेजी लेखक ने कहा है, ''हमारी आय अधिशेष लाभों से नहीं होती, वरन् पूँजी से होती है; ऐशो-आराम की चीजों से नहीं, वरन् निर्धनतम लोगों की जरूरतों से होती है। यह पाप और आंसुओं की कमाई है।''

इस प्रकार प्राप्त किए गए राजस्व के एक बड़े हिस्से को सरकार उच्च वर्गों की शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च करे, और केवल इन्हीं वर्गों को इसका लाभ मिले, तो यह और कुछ भले ही हो, न्यायसंगत और समानता की बात कतई नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वास्तविक उच्च वर्ग की शिक्षा को संरक्षण प्रदान करने के पीछे उनका उद्देश्य ऐसे अध्येता तैयार करना है जो ऐसा माना जाता है कि भविष्य में बिना पैसे के और बिना कीमत के शिक्षा प्रदान करेंगे। उनका कहना है कि यदि हम उच्च वर्गों के मस्तिष्क में ज्ञान के प्रति प्रेम पैदा कर दें, तो उसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को उच्च स्तर की नैतिकता, ब्रिटिश सरकार के प्रति लगाव, और उन्हें प्राप्त बौद्धिक आशीर्वाद को अपने देशवासियों के बीच फैलाने की अदम्य इच्छा पैदा होगी।

सरकार के इन उद्देश्यों के संबंध में लेखक ने ऊपर राज्यों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि हमने इससे बेहतर लाभकारी और इससे बेहतर आदर्शवादी दर्शन के बारे में नहीं सुना। पाश्चात्य विश्व में, विशुद्ध रूप से लोकप्रिय ज्ञान के एजेंटों द्वारा लाए गए चमत्कारी

परिवर्तनों के साक्षी रहे लोगों द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारत के दौ सौ मिलियन लोगों के दोषों को उच्च वर्गों को और उनको स्वयं को श्रेष्ठतर शिक्षा प्रदान करके दूर किया जाए। हम भारतीय विश्वविद्यालयों के अपने मित्रों से पूछते हैं कि वे अपने प्राप्त हुए अनुभव से इस सिद्धांत की सच्चाई का ऐसा कोई एक भी उदाहरण बता दें। उन्होंने समृद्ध लोगों के अनेक बच्चों को पढ़ाया है और वे अपने कुछ शिष्यों को लौकिक परिप्रेक्ष्यों में भौतिक रूप से बहुत अधिक आगे बढ़ाने का माध्यम भी बने हैं, परंतु उन्होंने अपने साथियों के पुनरुत्थान के महान कार्य में क्या योगदान किया है? क्या उन्होंने अधिसंख्य जनता के लिए काम करना शुरू किया है? क्या उनमें से किसी ने अपने बदनसीब अथवा अल्प बुद्धि वाले देशवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने घर पर अथवा अन्यत्र कहीं कक्षाएं लगाई हैं? या उन्होंने अपने ज्ञान को, उपेक्षित अशिष्ट लोगों के सम्पर्क में आने से बचाने के लिए, एक व्यक्तिगत उपहार के रूप में अपने तक सीमित रख लिया है? क्या उन्होंने किसी रूप में जनहित को बढ़ावा देने और देशभक्ति के साथ लोकोपकार का कर्ज अदा करने के बारे में चिंता दर्शाई है? किन आधारों पर ऐसा दावा किया जाता है कि ऊँचे वर्गों की शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना ही लोगों के नैतिक एवं बौद्धिक कल्याण की प्रगति का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? अभिजात वर्ग की ओर से यह बड़ा शानदार तर्क है, जैसे कि केवल यही एक तर्कसंगत बात हो.....!

सभी उच्च कार्यालयों में ब्राह्मणों का एकाधिकार उच्च वर्ग की शिक्षा के सरकारी तंत्र की सर्वाधिक स्पष्ट प्रवृत्तियों में से एक रही है। यदि खेतिहरों के कल्याण का कार्य दिल से किया जाए, यदि दुरुपयोग करने वाले समुदाय को रोकना सरकार का कर्तव्य है, तो उन्हें इस एकाधिकार को दिन-ब-दिन कम करना होगा ताकि लोक सेवाओं में अन्य जातियों के लोगों का आना भी शुरू हो सके। संभवत: कुछ लोग यह कहें कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में यह व्यवहार्य नहीं है। हमारा एकमात्र उत्तर यह है कि यदि सरकार उच्च वर्ग की शिक्षा की ओर थोड़ा कम ध्यान दे, और जन सामान्य की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि उच्च वर्ग

अपनी चिंता स्वयं करने में समर्थ हैं, तो ऐसे लोगों के निकाय को तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जो हर तरीके से योग्य होगा और संभवत: नैतिकता एवं चाल-चलन में भी कहीं बेहतर होगा।

इस खण्ड को लिखने का मेरा उद्देश्य मेरे शूद्र भाइयों को न केवल यह बताना है कि उन्हें ब्राह्मणों द्वारा किस प्रकार ठगा गया है, अपितु उच्च वर्ग की शिक्षा की उस हानिकारक व्यवस्था की ओर सरकार की आंखें खोलना भी है, जिसे अब तक अपनाया जा रहा है, और जिसे व्यापक एवं सार्वभौम सहानुभूति के साथ, बंगाल के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कैम्पबेल जैसे राजनयिक शातिराना और सरकार के हितों के लिए हानिकारक मानते हैं। मैं ईमानदारी से उम्मीद करता हूँ कि सरकार को जल्दी ही अपने तौर-तरीकों के त्रुटिपूर्ण होने का पता चलेगा, यह ऐसे लेखकों अथवा लोगों पर कम विश्वास करेगी जिनकी आंखों पर उच्च वर्ग का चश्मा चढ़ा हुआ है और यह मेरे शूद्र भाइयों को बंधन की उन जंजीरों से मुक्त करने का श्रेष्ठ कार्य अपने हाथों में लेगी, जो ब्राह्मणों ने किसी सांप की कुण्डली की तरह लपेट दी हैं। किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर चुके मेरे शूद्र भाइयों का भी यह कम दायित्व नहीं है कि वे सरकार के सामने अपने साथियों की सच्ची स्थिति पेश करें और उन्हें ब्राह्मणों की दासता से मुक्त कराने के लिए अपनी ताकत का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करें। प्रत्येक गांव में शूद्रों के लिए एक स्कूल हो; परंतु वह सभी ब्राह्मण स्कूल-मास्टरों से दूर हो ! शूद्र हमारे देश के जीवन और स्नायु-तंत्र हैं, और केवल उनके लिए, न कि ब्राह्मणों के लिए, यह जरूरी है कि सरकार उनकी वित्तीय कठिनाइयों के साथ-साथ राजनैतिक कठिनाइयों को सदैव दूर करे। यदि शूद्रों के दिलोदिमाग को प्रसन्न और संतुष्ट कर दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार को भविष्य में अपने प्रति वफादारी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस प्रेसीडेंसी में अधिसंख्य लोगों की प्राथमिक शिक्षा बहुत उपेक्षित रही है। यद्यपि कुछ वर्ष पहले जितने प्राथमिक स्कूल थे, अब उनसे ज्यादा स्कूल विद्यमान हैं, तथापि वे समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लायक नहीं हैं.....।

यहां तक कि कस्बों में भी ब्राह्मण, पुरभू, वंशानुगत वर्ग, जो सामान्यत: लेखनी आधारित व्यवसाय करते हैं, वे और व्यापारी वर्ग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। कृषि करने वाले और अन्य वर्ग किसी नियम की तरह आमतौर पर अपने लिए शिक्षा अर्जित नहीं करते। इस कृषक और अन्य वर्ग में से कुछ लोग प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में देखे जाते हैं, परंतु अपनी गरीबी एवं अन्य कारणों के चलते ज्यादा समय तक स्कूल नहीं जाते। चूँकि इनका लगातार स्कूल जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, अत: जैसे ही उन्हें कोई छोटा-मोटा धंधा अथवा अन्य व्यवसाय मिल जाता है, वैसे ही वे स्कूल छोड़ देते हैं। गांवों में भी कृषक वर्ग अत्यधिक गरीबी के चलते, और इस कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं कि उनको मवेशी चराने तथा खेतों की रखवाली करने के लिए अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है। स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ छात्रवृत्तियों तथा अर्धवार्षिक एवं वार्षिक पुरस्कारों के रूप में विशेष प्रावधान करना उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और इस प्रकार उनके भीतर सीखने के प्रति रुचि पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है।

मेरे विचार से एक निश्चित आयु तक, कम से कम 12 वर्ष की आयु तक, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना देना चाहिए। मुसलमान भी इन स्कूलों से दूर रहते हैं, क्योंकि मराठी अथवा अंग्रेजी के प्रति उनका कोई लगाव दिखाई नहीं पड़ता है। मुसलमानों के लिए ऐसे कुछ ही प्राथमिक स्कूल हैं जहां उनकी अपनी भाषा पढ़ाई जाती है। महारों, मंगों तथा अन्य निम्न वर्गों को जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण सभी स्कूलों से दूर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें उच्च वर्गों के बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता है। तदुपरांत सरकार द्वारा इनके लिए विशेष स्कूल खोले गए। परंतु ये केवल बड़े कस्बों में ही हैं। सारे पूना के लिए और 5,000 से अधिक की आबादी के लिए केवल एक स्कूल है, और उसमें भी उपस्थिति 30 बालकों से भी कम की है। इस मामले में शैक्षिक प्राधिकरणों को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। महारानी की उद्घोषणा के वादे के अंतर्गत मैं निवेदन करता हूँ कि महारों,

मंगों और अन्य निम्न वर्गों के लिए, जहां उनकी आबादी अच्छी-खासी हो, वहां उनके लिए पृथक स्कूल खोले जाएं, क्योंकि उन्हें जातिगत पूर्वाग्रहों के चलते स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता.....।

जो कुछ सरकारी स्कूल प्रेसीडेंसी में मौजूद हैं, उनके संबंध में, मैं यह अनुरोध करता हूँ कि देखिए उन्हें संतोषजनक और प्रभावी आधार पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है.....।

प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त लगभग सभी शिक्षक ब्राह्मण हैं; उनमें से कुछ सामान्य प्रशिक्षण महाविद्यालयों से आए हैं, शेष सभी अप्रशिक्षित लोग हैं। उनके वेतन बहुत कम हैं, जो 10 रू. से ज्यादा कभी-कभार होता है, और उनकी उपलब्धियां भी बहुत निम्न स्तर की हैं। परंतु जैसे कि कोई नियम हो, वे सभी व्यावहारिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और जो बच्चे उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आमतौर पर निष्क्रियता की आदतें ग्रहण कर लेते हैं और अपने वंशानुगत अथवा अन्य मेहनत वाले अथवा स्वतंत्र व्यवसाय से बचने के लिए नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को जहां तक संभव हो, प्रशिक्षित होना चाहिए, वे कृषक वर्ग से होने चाहिए और किसी ब्राह्मण शिक्षक, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण स्वयं को आमतौर पर अलग रखता है, से बेहतर ढंग से उनके साथ मुक्त रूप से घुल मिल जाएंगे उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझेंगे। यही नहीं, ये शिक्षक अन्य वर्गों के शिक्षकों की अपेक्षा अधिक लाभकारी रूप से असर पैदा करेंगे, वे जरूरत पड़ने पर हल का हत्था अथवा बढ़ई का बसूला थामने में कोई शर्म महसूस नहीं करेंगे, और वे समाज के निम्न वर्ग के साथ पहले से ही घुलने-मिलने में सक्षम होंगे। उनके लिए प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सामान्य विषयों के साथ-साथ कृषि एवं सफाई का आरंभिक ज्ञान शामिल होना चाहिए। अप्रशिक्षित शिक्षकों के स्थान पर, जब तक कि वे पूरी तरह दक्ष न हो जाएं, दक्ष प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जाना चाहिए। शिक्षकों का एक बेहतर वर्ग

सुनिश्चित करने के लिए और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए बेहतर वेतन दिए जाने चाहिए.....।

शिक्षा के पाठ्यक्रम में पठन, लेखन, मोडी और बालबोध तथा लेखा होने चाहिए तथा सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल, और व्याकरण की मूलभूत जानकारी के साथ-साथ कृषि की आरंभिक जानकारी और नैतिक कर्तव्यों एवं सफाई के संबंध में कुछ साधारण पाठ शामिल होने चाहिए। गांव के स्कूलों में पढ़ाई अपेक्षाकृत बड़े गांवों के स्कूलों की पढ़ाई से भले ही कम होती हो, परंतु वह कम व्यावहारिक नहीं होती। कृषि संबंधी पाठों के बारे में एक छोटा मॉडल खेत हो, जहां छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जा सके, यह निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा और यदि इसका प्रबंधन सही ढंग से किया जाए, तो देश के लिए बड़ा हितकर सिद्ध होगा.....।

निम्नलिखित तरीकों से प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए-

(1) जो स्वदेशी स्कूल प्रशिक्षित और प्रमाण-पत्र प्राप्त शिक्षकों द्वारा संचालित किए जाने वाले हैं अथवा किए जा रहे हैं, उनका उपयोग करके, उन्हें उदार रूप से सहायता-अनुदान प्रदान करके।

(2) स्थानीय उपकर निधि के आधे से अधिक हिस्से का केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए ही प्रावधान करके।

(3) एक सांविधिक अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिकाओं को उनकी अपनी-अपनी सीमाओं में आने वाले सभी प्राथमिक स्कूलों का अनुरक्षण करने के लिए बाध्य करके।

(4) प्रादेशिक अथवा शाही निधियों में से पर्याप्त अनुदान प्रदान करके।

प्रोत्साहन के रूप में, छात्रों को पुरस्कार और छात्रवृत्तियां, तथा शिक्षकों को कैपिटेशन एवं अन्य भत्ते प्रदान करने से इन स्कूलों द्वारा अधिक प्रभावी शिक्षा प्रदान किए जाने की प्रवृत्ति बनेगी।

बड़े कस्बों की नगरपालिकाओं को कहा जाए कि वे प्राथमिक स्कूलों पर किया जाने वाला पूरा व्यय अपनी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ही करें। परंतु किसी भी स्थिति में उसका प्रबंधन पूरी तरह से उनको नहीं सौंपा जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में रखा जाना चाहिए.....।

शहरों, कस्बों, और कुछ बड़े गांवों में अच्छे-खासे स्वदेशी स्कूल हैं। विशेष रूप से वहां, जहां ब्राह्मण आबादी है। इस प्रेसीडेंसी में सार्वजनिक शिक्षा की अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, यह पाया गया कि 1,049 स्वदेशी स्कूल हैं जिनमें लगभग 27,694 छात्र हैं। वे पुरानी ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार चलाए जा रहे हैं। बालकों को आमतौर पर पहाड़े की तालिका रटाई जाती है, थोड़ा मोडी लेखन और पठन कराया जाता है, तथा कुछ धार्मिक बातें सिखाई जाती हैं। नियमानुसार शिक्षक कोई सुधार करने में सक्षम नहीं होते क्योंकि वे शिक्षण कला में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इन स्कूलों में वसूला जाने वाला शुल्क 2 से 8 आना तक होता है। शिक्षक सामान्यत: ब्राह्मण समाज के होते हैं। उनकी योग्यताएं मुश्किल से मराठी पढ़ने और लिखने तथा लगभग तीन के स्केल तक का हिसाब लगा पाने से ज्यादा नहीं होती। वे आजीविका प्राप्त करने के अंतिम उपाय के रूप से शिक्षक बनते हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनकी असफलता अथवा अयोग्यता उन्हें स्कूल खोलने के लिए मजबूर कर देती है। स्वदेशी स्कूल अच्छे स्कूल तब तक नहीं बन सकते जब तक कि उनके वर्तमान शिक्षकों के स्थान पर ट्रेनिंग कॉलेजों से आने वाले लोगों को तथा देशी भाषा में 6ठी कक्षा उत्तीर्ण करने वालों को न रखा जाए। ये वर्तमान शिक्षक राजकीय सहायता को मर्जी से स्वीकार कर लेंगे, परंतु इस प्रकार खर्च की गई राशि व्यर्थ जाएगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें किसी ऐसे स्कूल को सहायता-अनुदान प्रदान किया गया हो।

यदि कहीं यह दिया भी जा रहा होगा तो दुर्लभ मामलों में। मेरे विचार से, ऐसे स्कूलों को तब तक कोई सहायता-अनुदान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि मास्टर को प्रमाण-पत्र नहीं मिला हुआ हो। परंतु यदि प्रमाण-पत्र मिला हो अथवा दक्ष शिक्षक पाए जाएं, तो सहायता-अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए और यह बहुत श्रेयस्कर होगा.....।

कुछ समय पहले से पूरे देश में यह आवाज उठती रही है कि सरकार ने उच्चतर शिक्षा के लिए तो पर्याप्त प्रावधान किए हैं, जबकि अधिकांश जनसंख्या उपेक्षित रही है। कुछ सीमा तक यह बात न्यायोचित भी है, यद्यपि उच्चतर शिक्षा का प्रत्यक्ष लाभ ले रहे वर्ग इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु इस सब के लिए इस देश का कोई भी शुभचिंतक यह नहीं चाहेगा कि सरकार इस समय उच्चतर शिक्षा को दी जा रही अपनी सहायता वापस ले ले। वे जो कुछ चाहते हैं वह यह है कि, चूँकि एक वर्ग अथवा प्रजा की उपेक्षा की गई है, अत: उस उपेक्षित वर्ग की प्रगति की भी उतनी ही चिंता की जानी चाहिए जितनी दूसरे वर्ग की की जा रही है। भारत में शिक्षा अभी शैशवकाल में ही है। उच्चतर शिक्षा से राजकीय सहायता को वापस ले लेना शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के प्रयासों के लिए घातक ही सिद्ध होगा।

ब्राह्मणों और पुरभू जैसे उच्च और सम्पन्न वर्गों, विशेष रूप से लेखनी से आजीविका चलाने वाले वर्गों, में शिक्षा के लिए रुचि पैदा हो चुकी है, और जहां तक इन वर्गों का संबंध है, राजकीय सहायता देना धीरे-धीरे बंद किया जा सकता है; परंतु मध्यम और निम्न वर्गों में, जिनमें उच्च शिक्षा की अभी कोई प्रगति नहीं हुई है, इस प्रकार सहायता रोक देना बहुत बड़ी कठिनाइयां पैदा कर देने वाला होगा.....।

वर्तमान में सरकारी स्कूलों में अपनाई जा रही सरकारी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य वर्गों को छोड़कर उन वर्गों को अनावश्यक प्रोत्साहन देती है

जिनमें शिक्षा के प्रति रुचि पहले ही जागृत हो चुकी है। प्रणाली में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इन छात्रवृत्तियों में से कुछ छात्रवृत्तियां ऐसे वर्गों को दी जाएं जिनके बीच शिक्षा की कोई प्रगति नहीं हुई है।

प्रतिस्पर्धा द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करने की प्रणाली यद्यपि सार रूप में समानतापूर्ण तो है, तथापि इससे अन्य वर्गों के बीच शिक्षा का प्रसार होने की संभावना नहीं है। स्थानीय निवासियों को लाभकारी रोजगार प्राप्त होने के प्रश्न के संबंध में, यह याद रखा जाए कि शिक्षित स्थानीय निवासी, जो अधिकांशत: ब्राह्मण और अन्य उच्च वर्गों से संबंध रखते हैं, अधिकांशत: नौकरी करने के शौकीन होते हैं। परंतु क्योंकि लोक सेवा में उतनी जगह नहीं होती कि उसमें स्कूलों और कॉलेजों से आने वाले सभी शिक्षित स्थानीय निवासी समाहित हो सकें। यही नहीं, वे जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करके आते हैं, वह तकनीकी अथवा व्यावहारिक स्वरूप का नहीं होता है, इसलिए उनके लिए किसी अन्य दस्तकारी अथवा लाभकारी रोजगार में स्वयं को लगाना बहुत कठिन हो जाता है।

अत: यह बात उठती है कि ऐसे शिक्षित स्थानीय निवासियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है जिनको लाभकारी रोजगार प्राप्त नहीं होता। एक निश्चित सीमा तक संभवत: यह बात सही हो कि कुछ व्यवसायों में जगह नहीं हैं, परंतु इससे यह प्रदर्शित नहीं होता कि ऐसे दूसरे कोई लाभकारी रोजगार नहीं हैं जिनमें वे स्वयं को लगा सकें। पूरे देश की बात की जाए तो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या फिलहाल बहुत कम है, और हमारा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं होगा जब हम इस संख्या को सैकड़ों गुना बढ़ा देंगे, और सभी स्वयं को लाभकारी एवं फायदेमंद व्यवसायों में लगाएंगे और नौकरी के पीछे नहीं भागते रहेंगे।

निष्कर्ष रूप में, मैं शिक्षा आयोग से अनुरोध करता हूँ कि वे बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए अधिक उदार पैमाने पर उपायों को मंजूरी देने की दयालुता दिखाएं।

*****

स्रोत: शिक्षा आयोग: ब्रॉम्बे प्रांतीय समिति की रिपोर्ट, समिति के समक्ष रखे गए साक्ष्य तथा शिक्षा आयोग, कलकत्ता को संबोधित स्मारिकाएं, 1884, पीपी 140-145.

*इस दस्तावेज का हिंदी अनुवाद वीरेंद्र कुमार चंदोरिया ने संवाद शिक्षा समिति की पत्रिका शिक्षा संवाद के लिए किया है।

This page is intentionally left blank

शिक्षा संवाद
2021, 8 (1-2): 23-34
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

कहानी

प्लेग की चुड़ैल

मास्टर भगवानदास

गत वर्ष जब प्रयाग में प्लेग घुसा और प्रतिदिन सैकड़ों ग़रीब और अनेक महाजन, ज़मींदार, वकील, मुख़्तार के घरों के प्राणी मरने लगे तो लोग घर छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि कई डॉक्टर भी दूसरे शहरों को चले गए। एक मुहल्ले में ठाकुर विभवसिंह नामी एक बड़े ज़मींदार रहते थे। उन्होंने भी अपने इलाक़े पर, जो प्रयाग से 5 मील की दूरी पर था, चले जाने की इच्छा की। सिवा उनकी स्त्री और एक पाँच वर्ष के बालक के और कोई संबंधी उनके घर में नहीं था। रविवार को प्रात:काल ही सब लोग इलाक़े पर चलने की तैयारी करने लगे। जल्दी में उनकी स्त्री ने ठंडे पानी से नहा लिया। बस नहाना था कि ज्वर चढ़ आया। हकीम साहब बुलाए गए और दवा दी गई। पर उससे कुछ लाभ न हुआ। सायं-काल को गले में एक गिलटी भी निकल आई। तब तो ठाकुर साहब और उनके नौकरों को अत्यंत व्याकुलता हुई। डॉक्टर साहब बुलाए गए। उन्होंने देखते ही कहा कि प्लेग की बीमारी है, आप लोगों को चाहिए कि यह घर छोड़ दें। यह कहकर वह चले गए। अब ठाकुर साहब बड़े असमंजस में पड़े। न तो उनसे वहाँ रहते ही बनता था, न छोड़ के जाते ही बनता था। वह मन में सोचने लगे, यदि यहाँ मेरे ठहरने से बहू जी को कुछ लाभ हो तो मैं अपनी जान भी ख़तरे में डालूँ। परंतु इस बीमारी में दवा तो कुछ काम ही नहीं करती, फिर मैं यहाँ ठहरकर अपने प्राण क्यों खोऊँ। यह सोच जब वह चलने के लिए खड़े होते थे तब वह बालक जिसका नाम नवलसिंह था, अपनी माता के मुँह की ओर देखकर रोने लगता था और वहाँ से जाने से इनकार करता था। ठाकुर साहब भी प्रेम के कारण मूक अवस्था को प्राप्त हो जाते थे और विवश होकर बैठे रहते थे। ठाकुर साहब तो बड़े सहृदय सज्जन पुरुष थे, फिर इस समय उन्होंने ऐसी निष्ठुरता क्यों दिखलाई, इसका कोई कारण अवश्य था, परंतु उन्होंने उस समय उसे किसी को नहीं बतलाया। हाँ, वह बार-बार यही कहते थे कि स्त्री का प्राण तो जा ही रहा है, इसके साथ मेरा भी प्राण जावे तो कुछ हानि नहीं, पर मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पुत्र तो बचा रहे। मेरा कल तो न लुप्त हो जावे। पर वह बिचारा बालक इन बातों को क्या समझता था! वह तो मातृ-भक्ति के बंधन में ऐसा बँधा था कि रात-भर अपनी माता के पास बैठा रोता रहा।

जब प्रात:काल हुआ और ठकुराइन जी को कुछ चेत हुआ तो उन्होंने आँखों में आँसू भर के कहा, "बेटा नवलसिंह! तुम शोक मत करो, तुम किसी दूसरे मकान में चले जाओ, मैं अच्छी होकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी।" पर वह लड़का न तो समझाने ही से मानता था, न स्वयं ऐसे स्थान पर ठहरने के परिणाम को जानता था। बहू जी तो यह कहकर फिर अचेत हो गईं, पर बालक वहीं बैठा सिसक-सिसककर रोता रहा। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, पर किसी की दवा ने काम न किया। होते-होते इसी तरह दोपहर हो गई थी। तीसरे पहर को बहू जी का शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया और डॉक्टर ने मुख की चेष्टा दूर ही से देखकर कहा, "बस अब इनका देहांत हो गया। उठाने की फ़िक्र करो।" यह सुन सब नौकरानियाँ और नौकर रोने लगे और पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। सबके मुख से यही बात सुन पड़ती थी, "अरे क्या निर्दयी काल ने इस अबला का प्राण ले ही डाला, क्या इसकी सुंदरता, सहृदयता और अपूर्व पतिव्रत धर्म का कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ, क्या इस क्रूर काल को किसी के भी सदगुणों पर विचार नहीं होता!!"

एक पड़ोसी, जो कवि था, यह सवैया कहकर अपने शोक का प्रकाश करने लगा—
सूर को चूरि करै छिन मैं, अरु कादर को धर धूर मिलावै।

कोविदहूँ को विदारत है, अरु मूरख को रख गाल चबावै॥
रूपवती लखि मोहत नाहिं, कुरूप को काटि तूँ दूर बहावै।

है कोउ औगुण वा गुण या जग निर्दय काल जो तो मन भावै॥

स्त्रियाँ कहने लगीं, "हा हा, देखो, वह बालक कैसा फूट-फूटकर रो रहा है! क्या इसकी ऐसी दीन दशा पर भी उस निठुर काल को दया नहीं आई? इस अवस्था में बिचारा कैसे अपनी माता के वियोग की व्यथा सह सकेगा! हा! इस अभागे पर बचपन ही में ऐसी विपत्ति आ पड़ी!" ठाकुर साहब तो मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े थे। नौकरों ने उनके मुँह पर गुलाब जल छिड़का और थोड़ी देर में वह सचेत हुए। उनकी मित्र-मंडली में से तो कई महाशय उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनके पड़ोसियों ने जो वहाँ एकत्र हो गए थे, यह सम्मति दी कि स्त्री के मृत शरीर को गंगा तट पर ले चलकर दाह क्रिया करनी चाहिए। परंतु डॉक्टर साहब ने, जो वहाँ फिर लौटकर आए थे, कहा कि पहले तो इस मकान को छोड़कर दूसरे में चलना चाहिए, पीछे और सब खटराग किया जावेगा। ठाकुर साहब को भी वह राय पसंद आई, क्योंकि उन्होंने तो रात ही से भागने का इरादा कर रखा था, वह तो केवल उस लड़के के अनुरोध से रुके हुए थे। परंतु क्या उस लड़के को उस समय भी वहाँ से ले चलना सहज था? नहीं, वह तो

अपनी मृत माता के निकट से जाना ही नहीं चाहता। बार-बार उसी पर जाकर गिर पड़ता था और उसकी अधखुली आँखों की ओर देख-देखकर रोता और 'माता! माता' कहकर पुकारता था। उसका रुदन सुनकर देखने वालों की छाती फटती थी और उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बहती थी। अंत में ठाकुर साहब ने उस बालक को पकड़कर गोद में उठा लिया और गाड़ी में बिठलाकर दूसरे मकान की ओर रवाना हुए। अलबत्ता चलती बार ठाकुर साहब ने स्त्री के मृत शरीर की ओर देखकर कुछ अँग्रेज़ी में कहा था, जिसका एक शब्द मुझे याद है, फेअरवेल। नौकर सब ठाकुर साहब ही के साथ रवाना हो गए, परंतु उनका एक पुराना नौकर उस मकान की रक्षा के लिए वहीं रह गया।

पड़ोसी लोग भी इस दुर्घटना से दु:खी होकर अपने घरों को लौट गए, परंतु उनके एक पड़ोसी के हृदय पर इन सब बातों का ऐसा असर हुआ कि वह वहीं बैठा रह गया और मन में सोचने लगा कि ऐसी दशा में पड़ोसी का धर्म क्या है? इस देश का यह रिवाज है कि जब तक मुहल्लें में मुर्दा पड़ा रहता है तब तक कोई नहाता-खाता नहीं। जब उसकी दाह क्रिया का सब सामान ठीक हो जाता है और लोग उसको वहाँ से उठा ले जाते हैं, तब पड़ोसी लोग अपने-अपने दैनिक कार्यों को करने में तत्पर होते हैं। परंतु यहाँ का यह हाल देखकर वह बहुत विस्मित होता था और सोचता था कि यदि ठाकुर साहब भय के मारे अपने इलाक़े पर भाग गए तो मृतक की क्या दशा होगी। क्या इस पुण्यवती स्त्री का शरीर ठेले पर लद के जाएगा? उसने उस बुड्ढे नौकर के आगे अपनी कल्पनाओं को प्रकाशित किया। उसने उत्तर दिया कि अभी ठाकुर साहब की प्रतीक्षा करनी चाहिए, देखें वह क्या आज्ञा देते हैं।

वह पड़ोसी भी यही यथार्थ समझ के चुप हो गया और संसार की असारता और प्राणियों के प्रेम की निर्मूलता पर विचार करने लगा। उस समय उसे नानक जी का यह पद याद आया, 'सबै कुछ जीवत का ब्योहार,' और सूरदास का 'कुसमय मीत काको कौन' भी स्मरण आया। पर समय की प्रतिकूलता देख वह इन पदों को गा न सका। मन-ही-मन गुनगुनाता रहा। इतने ही में ठाकुर साहब के दो नौकर वापस आए और उन्होंने बूढ़े नौकर से कहा कि हम लोग पहरे पर मुकर्रर हैं और तुमको ठाकुर साहब ने बुलाया है, वह मत्तन सौदागर के मकान में ठहरे हैं, वहीं तुम जाओ। उस बुड्ढ़े का नाम सत्यसिंह था।

जब वह उक्त स्थान पर पहुँचा तो उसने देखा कि ठाकुर साहब के चंद मित्र, जो वकील, महाजन और अमले थे, इकट्ठे हुए हैं और वे सब एकमत होकर यही कह रहे हैं कि आप अपने इलाक़े पर चले जाइए; दाह-क्रिया के झंझट में मत पड़िए, यह कर्म आपके नौकर कर देंगे, क्योंकि जब प्राण बचा रहेगा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी। तब ठाकुर साहब ने इस विषय में पुरोहित जी की सम्मति पूछी, उन्होंने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाना ही उचित समझा और कहा कि धर्मशास्त्रानुसार ऐसा हो सकता है; इस समय

चाहे जो दग्ध कर दे, इसके अनंतर जब सुभीता समझा जाएगा, आप एक पुतला बनाकर दग्ध-क्रिया कर दीजिएगा।

इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी ही से कहा, "यह तीस रुपए लीजिए और मेरे आठ नौकर साथ ले जाकर कृपा करके आप दग्ध क्रिया करवा दीजिए और मुझे इलाक़े पर जाने की आज्ञा दीजिए।" यह कहकर लड़के को साथ लेकर और मित्रों से विदा होकर ठाकुर साहब इलाक़े पर पधारे और पुरोहित जी सत्यसिंह प्रभृति आठ नौकरों को लेकर उनके घर पर गए। सीढ़ी बनवाते और कफ़न इत्यादि मँगवाते सायंकाल हो गया। जब नाइन बहू जी को कफ़नाने लगी, उसने कहा, "इनका शरीर तो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है और आँखें अधखुली-सी हैं, मुझे भय मालूम होता है।" पुरोहित जी और नौकरों ने कहा, "यह तेरा भ्रम है, मुर्दे में जान कहाँ से आई। जल्दी लपेट ताकि गंगा तट ले चलकर इसका सतगत करें। रात होती जाती है, क्या मुर्दे के साथ हम लोगों को भी मरना है! ठाकुर साहब तो छोड़ ही भागे, अब हम लोगों को इन पचड़ों से क्या मतलब है, किसी तरह फूँक-फाँककर घर चलना है। क्या इसके साथ हमें भी जलना है?"

सत्यसिंह ने कहा, "भाई, जब नाइन ऐसा कहती है, तो देख लेना चाहिए, शायद बहू जी की जान न निकली हो। ठाकुर साहब तो जल्दी से छोड़ भागे, डॉक्टर दूर ही से देखकर चला गया, ऐसी दशा में अच्छी तरह जाँच कर लेनी चाहिए।"

सब नौकरों ने कहा, "सत्यसिंह, तुम तो सठिया गए हो, ऐसा होना असंभव है। बस, देर न करो, ले चलो।" यह कहकर मुर्दे को सीढ़ी पर रख कंधे पर उठा, सत्यसिंह का वचन असत्य और रामनाम सत्य कहते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर ले चले। रास्तें में एक नौकर कहने लगा, सात बज गए हैं, दग्ध करते-करते तो बारह बज जावेंगे! दूसरे ने कहा, "फूँकने में निस्संदेह सारी रात बीत जाएगी।" तीसरे ने कहा, "यदि ठाकुर साहब कच्चा ही फेंकने को कह गए होते तो अच्छा होता।" चौथे ने कहा, "मैं तो समझता हूँ कि शीतला, हैजा, प्लेग से मरे हुए मृतक को कच्चा ही बहा देना चाहिए। "पाँचवें ने कहा, "यदि पुरोहित जी की राय हो तो ऐसा ही कर दिया जाए।" पुरोहित जी ने, जिसे रात्रि समय श्मशान में जाते डर मालूम होता था, कहा, "जब पाँच पंच की ऐसी राय है तो मेरी भी यही सम्मति है और विशेषकर इस कारण कि जब एक बार ठाकुर साहब को नरेनी अर्थात् पुत्ला बनाकर जलाने का कर्म करना ही पड़ेगा तो इस समय दग्ध करना अत्यावश्यक नहीं है।" छठे और सातवें ने कहा कि बस चलकर मुर्दे को कच्चा ही फेंक दो, ठाकुर साहब से कह दिया जाएगा कि जला दिया गया, परंतु सत्यसिंह जो यथानाम तथा गुण बहुत सच्चा और ईमानदार नौकर था, कहने लगा, "मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता, मालिक का कहना और मुर्दे की गति करना हमारा धर्म है। यदि आप लोग मेरा

कहना न मानें तो मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ, आप लोग चाहे जैसा करें और चाहे जैसा ठाकुर साहब से कहें, यदि वह मुझसे पूछेंगे तो मैं सच-सच कह दूँगा। "यह सुनकर नौकर घबराए और कहने लगे कि भाई 30 रुपए में से, जो ठाकुर साहब ने दिए हैं, तुम सबसे अधिक हिस्सा ले लो लेकिन यह वृत्तांत ठाकुर साहब से मत कहना। सत्यसिंह ने कहा, "मैं हरामख़ोर नहीं हूँ। ऐसा मुझसे कदापि नहीं होगा, लो मैं घर जाता हूँ, तुम लोगों के जी में जो आए सो करना।"

जब यह कहकर वह बुड्ढा नौकर चला गया तो बाक़ी नौकर जी में बहुत डरे और पुरोहित जी से कहने लगे, "अब क्या करना चाहिए, बुड्ढा तो सारा भेद खोल देगा और हम लोगों को मौक़ूफ़ करा देगा।" पुरोहित जी ने कहा, "तुम लोग कुछ मत डरो, अच्छा हुआ कि बुड्ढ़ा चला गया, अब चाहे जो करो; ठाकुर साहब से मैं कह दूँगा कि मुर्दा जला दिया गया। वह मेरा विश्वास बुड्ढ़े से अधिक करते हैं; 30 में से 7 तो सीढ़ी और कफ़न में ख़र्च हुए हैं। दो-दो रुपए तुम सात आदमी ले लो, बाकी 9 रुपए मुझे नवग्रह का दान दे दो, मुर्दे को जल में डालकर राम-राम कहते हुए कुछ देर रास्ते में बिताकर कोठी पर लौट जाओ, ताकि पड़ोसी लोग समझें कि अवश्य ये लोग मुर्दे को जला आए।

" यह सुनकर वे सब प्रसन्न हुए और 23 रुपए आपस में बाँटकर मुर्दे को ऐसे अवघट घाट पर ले गए जहाँ न कोई डोम कफ़न माँगने को था, न कोई महाब्राह्मण दक्षिणा माँगने को। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऐसी जल्दी की कि सीढ़ी-समेत मुर्दे को जल में डाल दिया और राम-राम कहते हुए कगारे पर चढ़ आए क्योंकि एक तो वहाँ अँधेरी रात वैसे ही भयानक मालूम होती थी, दूसरे वे लोग यह डरते थे कि कहीं सरकारी चौकीदार आकर गिरफ़्तार न कर ले, क्योंकि सरकार की तरफ़ से कच्चा मुर्दा फेंकने की मनाही थी। निदान वे बे-ईमान नौकर इस तरह स्वामी की आज्ञा भंग करके उस अविश्वसनीय पुरोहित के साथ घर लौटे।

अब सुनिए उस मुर्दे की क्या गति हुई। उस सीढ़ी के बाँस ऐसे मोटे और हल्के थे जैसे नौका के डाँड और उस स्त्री का शरीर कृशित होकर ऐसा हल्का हो गया था कि उसके बोझ से वह सीढ़ी पानी में नहीं डूबी और इस तरह उतराती चली गई जैसे बाँसों का बेड़ा बहता हुआ चला जाता है। यदि दिन का समय होता तो किनारे पर के लोग अवश्य इस दृश्य से विस्मित होते और कौवे तो कुछ खोद-खाद मचाते। परंतु रात का समय था, इससे वह शव-सहित सीढ़ी का बेड़ा धीरे-धीरे बहता हुआ त्रिवेणी पार करके प्राय: पाँच मील की दूरी पर पहुँचा। पर यह तो कोई अचंभे की बात न थी। अत्यंत आश्चर्यजनक घटना तो यह हुई कि गंगाजल की शीतलता उस सोपान-स्थित शरीर के लिए, जिसे लोगों ने निर्जीव समझ लिया था, ऐसी उपकारी हुई कि जीव का जो अंश उसमें रह गया था वह जग उठा और बहू जी

को कुछ होश आया। परंतु अपने को इस अद्भुत दशा में देख वह भौचक-सी रह गई। उनके शरीर का यह हाल था कि प्राणांतक ज्वराग्नि तो बुझ गई थी, परंतु गले में की गिलटी ऐसी पीड़ा दे रही थी कि उसके कारण वह कभी-कभी अचेत-सी हो जाती थी। परंतु जब उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की कृपा होती है तो अनायास प्राणरक्षा के उपाय उपस्थित हो जाते हैं। निदान वह सीढ़ी बहते-बहते ऐसी जगह आ पहुँची जहाँ करौंदे का एक बड़ा भारी पेड़ तट पर खड़ा था और उसकी एक घनी डाली झुककर जल में स्नान कर रही थी और अपने क्षीरमय फल-फूल गंगाजी को अर्पण कर रही थी। वह सीढ़ी जाकर डाली से टकराई और उसी में उलझकर रुक गई। और उस डाली में का एक काँटा बहू जी की गिल्टी में इस तरह चुभ गया जैसे किसी फोड़े में नश्तर। गिल्टी के फूटते ही पीड़ाजनक रुधिर निकल गया और बहू जी को फिर चेत हुआ। झट उन्होंने अपना मुँह फेरकर देखा तो अपने को उस हरी शाख़ा की शीतल छाया में ऐसा स्थिर और सुखी पाया जैसे कोई श्रांतपथिक हिंडोले पर सोता हो।

सूर्योदय का समय था, जल में किनारे की ओर कमल प्रफुल्लित थे। और तटस्थ वृक्षों पर पक्षीगण कलरव कर रहे थे। उस अपूर्व शोभा को देखकर बहू जी अपने शरीर की दशा भूल गईं और मन में सोचने लगीं कि क्या मैं स्वर्गलोक में आ गई हूँ, या केवल स्वप्न अवस्था में हूँ, और यदि मैं मृत्युलोक ही में इस दशा को प्राप्त हुई हूँ तो भी परमेश्वर मुझे इसी सुखमय अवस्था में सर्वदा रहने दे। परंतु इस संसार में सुख तो केवल क्षणिक होता है :

"सुख की तो बौछार नहीं है, दुख का मेह बरसता है।
यह मुर्दे का गाँव रे बाबा, सुख महँगा दुख सस्ता है॥"

थोड़ी ही देर बाद पक्षीगण उड़ गए और लहरों के उद्वेग से कमलों की शोभा मंद हो गई। सीढ़ी का हिंडोलना भी अधिक हिलने लगा, जिससे कृशित शरीर को कष्ट होने लगा, बहू जी का जी ऊबने लगा। उनका वश क्या था, शरीर में शक्ति नहीं थी कि तैरकर किनारे पर पहुँचें, हालाँकि चार ही हाथ की दूरी पर एक छोटा-सा सुंदर घाट बना हुआ था। वह मन में सोचने लगीं कि शायद मुझको मृतक समझ मेरे पति ने मुझे इस तरह बहा दिया है, परंतु उनको ऐसी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी; मेरे शरीर की अवस्था की जाँच उन्हें भली-भाँति कर लेनी चाहिए थी; भला उन्होंने मेरा तयाग किया तो किया, उनको बहुत-सी स्त्रियाँ मिल जाएँगी, परंतु मेरे नादान बच्चे की क्या दशा हुई होगी! अरे, वह मेरे वियोग के दु:ख को कैसे सह सकता होगा! हा! वह कहीं रो-रो के मरता होगा! उसको मेरे सदृश माता कहाँ मिल सकती है, विमाता तो उसको और भी दु:खदायिनी होगी! हे परमेश्वर! यदि मैं मृत्युलोक ही में हूँ तो मेरे बालक को शाँति और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं इस दशा से मुक्त होकर अपने प्राणप्रिय पुत्र से

मिलूँ। इतना कहते ही एक ऐसी लहर आई कि कई घूँट पानी उनके मुख में चला गया। गंगाजल के पीते ही शरीर में कुछ शाँति-सी आ गई और पुत्र के मिलने की उत्कंठा ने उनको ऐसा उत्तेजित किया कि वह हाथों से धीरे-धीरे उस सीढ़ी-रूपी नौका को खेकर किनारे पर पहुँच गई। परंतु श्रम से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ीं। कुछ देर बाद जब होश आया तो उस स्थान की रमणीयता देखकर फिर उन्हें यही जान पड़ा कि मैं मरने के पश्चात स्वर्गलोक में आ गई हूँ। गंगाजी के उज्जवल जल का मंद-मंद प्रवाह आकाशगंगा की शोभा दिखाता था और किनारे-किनारे के स्थिर जल में फूले हुए कमल ऐसे देख पड़ते थे जैसे आकाश में तारे—

दोहा : गंगा के जल गात पै दल जलजात सुहात।
जैसे गोरे देह पे नील वस्त्र दरसात॥

तट पर अंब-कदंब-अशोकादि वृक्षों की श्रेणियाँ दूर तक चली गई थीं और उनके समीप के उपवन की शोभा 'जहाँ बसंत ऋतु रह्यौ लुभाई' ऐसी मनोहर थी कि मनुष्य का चित्त देखते ही मोहित हो जाता था। कहीं करौंदे, कहीं कोरैया, इंद्र बेला आदि के वृक्ष अपने फूलों की सुगंध से स्थानों को सुवासित कर रहे थे, कहीं बेला, कहीं चमेली, केतकी, चंपा के फूलों से लदी हुई डालियाँ एक-दूसरे से मिली हुई यूँ देख पड़ती थीं जैसे पुष्पों की माला पहने हुए सुंदर बालिकाएँ एक से एक हाथ मिलाए खड़ी हैं। उनके बीच-बीच में ढाक के वृक्ष लाल फूलों से ढके हुए यूँ देख पड़ते थे जैसे संसारियों के समूह में विरक्त बनवासी खड़े हों। इधर तो इन विरक्तों के रूप ने बहू जी को अपनी वर्तमान दशा की ओर ध्यान दिलाया, उधर कोकिला की कूक ने हृदय में ऐसी हूक पैदा की कि एक बार फिर बहू जी पति के वियोग की व्यथा से व्याकुल हो गईं और कहने लगीं, कि इस शोक-सागर में डूबने से बेहतर यही होगा कि गंगाजी में डूब मरूँ, फिर सोचा कि पहले यह तो मैं विचार लूँ कि मेरा मरना भी संभव है या नहीं। यदि मैं स्वर्गलोक के किसी भाग में आ गई हूँ तो यहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है, परंतु यह स्वर्गलोक नहीं जान पड़ता क्योंकि स्वर्ग में शारीरिक और मानसिक दु:ख नहीं होते, और मैं यहाँ दोनों से पीड़ित हो रही हूँ। इनके अतिरिक्त मुझे क्षुधा भी मालूम होती है।

बस निस्संदेह मृत्युलोक ही में इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। यदि मैं मनुष्य ही के शरीर में अब तक हूँ और मरकर पिशाची नहीं हो गई हूँ तो मेरा धर्म यही है कि मैं अपने अल्पवयस्क बालक को ढूँढ़कर गले से लगाऊँ, परंतु मैं शारीरिक शक्तिहीन अबला इस निर्जन स्थान में किसे पुकारूँ, किधर जाऊँ! "हे करुणामय जगदीश! तू ही मेरी सुध ले। यदि तूने द्रौपदी, दम्यंती आदि अबलाओं की पुकार सुनी है तो मेरी भी सुन।" यह कहकर गंगाजी की ओर मुँह फेर घाट पर बैठ गईं और जल की शोभा देखने लगीं।

इतने ही में दक्षिण दिशा से एक दासी हाथ में घड़ा लिए गंगाजल भरने को आई। जब उसने पीछे से ही देखा कि कोई स्त्री कफ़न का श्वेत कपड़ा पहने अकेली चुपचाप बैठी है उसके मन में कुछ शंका हुई। जब उसने देखा कि नीचे पानी में एक मुर्दावाली सीढ़ी भी तैर रही है, तब तो उसे अधिक भय मालूम हुआ और उसने सोचा कि अवश्य कोई मरी हुई स्त्री चुड़ैल होकर बैठी है। जब उसके पाँव की आहट पाकर बहू जी ने उसकी ओर मुँह फेरा और गिड़गिड़ाकर उससे कुछ पूछने लगी तो वह उनकी खोड़राई हुई आँखों और अधमरी स्त्री की-सी चेष्टा देखकर भय से चिल्ला उठी और चुड़ैल-चुड़ैल, करके वहीं घड़ा पटककर भागी। बहू जी ने गला फाड़-फाड़कर उसे बहुत पुकारा, पर वह न लौटी और अपने ग्राम में ही जाकर उसने दम लिया। जब उसकी भयभीत दशा देखकर और स्त्रियों ने उसका कारण पूछा तब उसने सब वृत्तांत कह सुनाया, परंतु वह ऐसी डर गई थी कि बार-बार घाट ही की ओर देखती थी कि कहीं वह चुड़ैल पीछे-पीछे आती न हो।

उस समय ग्राम के कुछ मनुष्य खेत काटने चले गए थे और कुछ ठाकुर विभवसिंह के साथ टहलने निकल गए थे। केवल स्त्रियाँ और लड़के गाँव में रह गए थे। उनमें से किसी को यह साहस नहीं होता था कि घाट पर जाकर उस दासी की अपूर्व कथा की जाँच करे। चुड़ैल का नाम सुनते ही वे सब ऐसी डर गईं थीं कि अपने-अपने लड़कों को घर में बंद करने लगीं कि कहीं चुड़ैल आकर उन्हें चबा न डाले। उस समय ठाकुर साहब का लड़का नवलसिंह भी अपनी मृत माता का स्मरण कर-कर नेत्रों से आँसू बहाता हुआ इधर-उधर घूम रहा था और लड़कों के साथ खेलने की उसे इच्छा न होती थी। जब एक स्त्री ने उससे भी कहा कि भैया, तुम अपने बँगले में छिप जाओ, नहीं तो वह चुड़ैल आकर तुम्हें पकड़ लेगी, वह आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि चुड़ैल कैसी होती है? यदि वह यहाँ आवेगी भी तो मुझे क्यों पकड़ेगी, मैंने उसकी कोई हानि नहीं की है।

इधर तो यह बातें हो रही थीं, उधर बहू जी निराश होकर फिर मन में सोचने लगीं कि यह तो निश्चय है कि मैं अभी तक मृत्युलोक में ही हूँ पर क्या वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या मैं सचमुच चुड़ैल हो गई हूँ, जैसा कि यह स्त्री मुझे देखकर कहती हुई भागी है! अवश्य इसमें कुछ भेद है वरना मैं इन कृशित अंगों पर कफ़न का श्वेत वस्त्र लपटाए, काले नागों के से बालों के लट लटकाए हुए इस अज्ञात निर्जन स्थान में कैसे आ जाती! हे विधाता! मैंने कौन-सा पाप किया जो तूने मुझे चुड़ैल का जन्म दिया! क्या पतिव्रत धर्म का यही फल है? अब मैं इस अवस्था में अपने प्यारे पुत्र को कहाँ पाऊँगी, और यदि पाऊँगी तो कैसे उसे गले लगाऊँगी? वह तो मेरी डरावनी सूरत देखते ही भागेगा, पर जो हो, मैं उसे अवश्य तलाश करूँगी और यदि वह मुझसे सप्रेम नहीं मिलेगा तो उसको भी इसी दशा में परिवर्तित करने की चेष्टा करूँगी। यह सोचकर वह धीरे-धीरे उसी ओर चली, जिधर वह दासी भागी थी।

दुर्बलता के मारे सारा देह काँपता था, पर क्या करे, क्षुधा के मारे रहा नहीं जाता था, निदान खिसकते-खिसकते उपवन डाककर वह वाटिका में पहुँची जिसमें अमरूद, नारंगी, फालसा, लीची, संतरा इत्यादि के पेड़ लगे हुए थे और क्यारियों में अनेक प्रकार के अँग्रेज़ी और हिंदुस्तानी फूल फले हुए थे। वाटिका के दक्षिण ओर एक छोटा-सा बँगला मालूम होता है जैसा मेरे इलाक़े पर के बग़ीचे में बना हुआ है; क्या मैं ईश्वर की कृपा से अपनी ही वाटिका में तो नहीं आ गई हूँ! अरे, यह पुष्प-मंडल भी तो वैसा ही जान पड़ता है जिसमें तीन वर्ष हुए नवलजी को गोद में लेकर खिलाती थी। मैं जब यहाँ आई थी तो ग्राम की स्त्रियों से सुना था कि निकट ही गंगाजी का घाट है। मैंने ठाकुर साहब से वहाँ स्नान करने की आज्ञा माँगी थी, परंतु उन्होंने नहीं दी, क्या उसी पाप का तो यह फल नहीं है कि मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ! परंतु उसमें मेरा क्या दोष था! स्त्री के लिए तो पति की आज्ञा पालन करना ही परम धर्म है। यह फल मेरे किसी और जन्म के पापों का मालूम होता है।

इसी तरह मन में अनेक कल्पनाएँ करती हुई बहू जी एक नारंगी के पेड़ के नीचे बैठ गईं और लटकी हुई डाल से एक नारंगी तोड़कर अपनी प्रज्वलित क्षुधाग्नि को बुझाना चाहती थीं कि इतने में नवलसिंह घूमता-घूमता उसी स्थापन पर आ गया, उसको देखते ही बहू जी की भूख-प्यास जाती रही। जैसे मृगी अपने खोए हुए शावक को पाकर उसकी ओर दौड़ती है वैसे ही बहू जी झपटकर नवलसिंह से लिपट गई और 'बेटा नवलजी! बेटा नवलजी' कहकर उसका मुख चूमने लगी। उस समय नवलसिंह की अपूर्व दशा थी। कभी तो बहू जी की डरावनी सूरत देखकर भय से भागना चाहता था, कभी माता के मुख की आकृति स्मरण करके प्रेमाश्रु बहाने लगता था और भोलेपन से पूछता था कि माता, तुम मर के फिर जी उठी हो और चुड़ैल हो गई हो? हम लोग तो तुमको घर ही पर छोड़ आए थे, तुम अकेली गिरती-पड़ती यहाँ कैसे आ गई हो? बहू जी ने कहा, "बेटा, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। यदि मेरा शरीर बदल गया है और मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो भी मेरा हृदय पहिले ही का-सा है और मैं तुम्हारी ही तलाश में खिसकते-खिसकते इधर आई हूँ।"

इधर तो इस प्रकार प्रेमालिंगन और प्रश्तोत्तर हो रहा था, उधर ग्राम्य स्त्रियों ने दूर ही से घटना देखकर हाहाकार मचाया और कहने लगीं, "अरे, नवल जी को चुड़ैल ने पकड़ लिया! चलियो! दौड़ियो! बचाइयो! अरे, यह क्या अनर्थ हुआ! हम लोग क्या जानती थीं कि वह डाइन वाटिका में आ बैठी है। नहीं तो नवलजी को क्यों उधर जाने देतीं।" इसी तरह सब दूर ही से कौआ-रोर मचा रही थीं, परंतु डर के मारे कोई निकट नहीं जाती थी।

इतने ही में विभवसिंह और उनके साथ जो गाँव के आदमी टहलने गए थे, वापस आ गए। यह कोलाहल देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दासी के मुँह से वृत्तांत सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, "मुझे प्रेत योनि में तो विश्वास नहीं है। पर ईश्वर की अद्भुत माया है। शायद सच ही हो।" यह कहकर और झट बँगले में से तमंचा लेकर वह उसी नारंगी के पेड़ की ओर झपटे, जहाँ नवलसिंह को चुड़ैल पकड़े हुए थी और गाँववाले भी लाठी ताने उसी ओर दौड़े। पिता को आते देखकर लड़के ने चाहा कि अपनी माता के हाथों से अपने को छुड़ाकर और दौड़कर अपने पिता से शुभ संदेश कहे। लेकिन उसकी माता उसे नहीं छोड़ती थी। ठाकुर साहब ने दूर ही से यह हाथापाई देखकर समझा कि अवश्य चुड़ैल उसे ज़ोर से पकड़े है और ललकारकर कहा, "बेटा, घबराओ मत, मैं आया।" जब पास पहुँचे, उन्होंने चाहा कि चुड़ैल को गोली मारकर गिरा दें। पर लड़के ने चिल्ला के कहा, "इन्हें मारो मत, मारो मत, माता है माता।" ठाकुर साहब को उस घबराहट में लड़के की बात समझ में नहीं आई और चूँकि वह पिस्तौल तान चुके थे, उन्होंने फ़ायर कर ही दिया। आवाज़ होते ही बहू जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ीं और लड़का चौंककर ज़मीन पर बैठ गया। ठाकुर साहब ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, "बेटा, डरो मत, अब तुम बच गए। बताओ तो यह कौन है, क्या वास्तव में चुड़ैल है?" बहू जी को अचेत देखकर अब आदमी चिल्लाकर कहने लगे, "चुड़ैल मर गई, चुड़ैल मर गई।" यह सुनकर स्त्रियाँ भी समीप आईं और चारों ओर खड़ी हो देखने लगीं। उनमें से वह दासी बोली, "यही दुष्टिन चुड़ैल है जो घाट पर बैठी थी और यहाँ आकर नवलजी को निगलना चाहती थी।" दूसरी स्त्रियाँ कहने लगीं, "हमने तो सुना था कि डायनों और चुड़ैलों के बड़े-बड़े दाँत और नख होते हैं। इसके तो वैसे नहीं हैं। यह निगोड़ी किस प्रकार की चुड़ैल है!"

एक ने कहा, "यह डाइन की बच्ची है। बढ़ने पर इसके भी दाँत बड़े होते।"

इधर तो यह ठिठोलियाँ हो रही थीं कि उधर जब नवलसिंह को निश्चय हुआ कि माता गोली की चोट से मर गई तो वह शोक के मारे अचेत हो गया। अब सब लोग भयातुर होकर उसकी ओर देखने लगे। कोई कहता था कि यह पिस्तौल की आवाज़ से डर गया है, कोई कहता था कि इसे चुड़ैल लग गई है। निदान जब वह कुछ होश में आया तो रो-रो के कहने लगा, "यह तो मेरी माता है। मैंने तो मना किया था, आपने इन्हें गोली से क्यों मारा?" ठाकुर साहब ने कहा, "तुम्हारी माता तो मर गई और पुरोहित जी की चिट्ठी कल रात ही को आ गई कि उनको गंगा के तट पर ले जाकर जला दिया, यह चुड़ैल तुम्हारी माता कैसे हो सकती है?" लड़के ने कहा, "आप समीप जाकर पहिचानिए तो कि यह कौन है।" ठाकुर साहब ने निकट ध्यान देकर देख पड़ा। जब छाती पर से कपड़ा हटाकर देखा तो मुख की आकृति उनकी स्त्री ही की-सी देख पड़ी और मस्तक पर मस्सा भी वैसा ही देखा तो हृदय पर दो तिल भी वैसे ही देख

पड़े जैसे बहू जी के थे। तब तो ठाकुर साहब बड़े विस्मित हुए और कहने लगे, "क्या आश्चर्य है! यह तो मेरी प्रिय पत्नी ही मालूम होती है।" फिर उन्होंने लड़के से कहा, "बेटा, तुम सोच मत करो, मैंने इन्हें गोली नहीं मारी है। तुमने जब मना किया तो मैंने आकाश की ओर यह समझकर गोली चला दी कि यदि कोई बला होगी तो तमंचे की आवाज़ ही से भाग जाएगी।" लड़के ने कहा, "देखिए, इनके गले में गोली का घाव है, आप कहते हैं कि मैंने गोली नहीं मारी।" ठाकुर साहब ने कहा, "यह तो गिल्टी का घाव है। मेरी गोली तो आकाश में तारा हो गई।" इसके अनंतर ठाकुर साहब ने सब लोगों को वहाँ से हटा दिया और स्वयं कुछ दूर पर खड़े होकर गाँव की नाइन से कहा, "तुम बहू जी के सब अंगों को अच्छी तरह पहचानती हो, पास आकर देखो तो कि यह वही है, कोई दूसरी स्त्री तो नहीं है।" नाइन डरते-डरेते पास गई और आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगी। इतने में बहू जी को कुछ होश आया और बहू ज्योंही उठके बैठने लगीं त्यों ही नाइन भाग खड़ी हुई। बहू जी ने उसे पहचानकर कहा, "अरे बदमिया, मेरा बच्चा कहाँ गया? नवल जी को जल्द बुला नहीं तो मेरा प्राण जाता है। ठाकुर साहब तो मेरे प्राण ही के भूखे हैं। प्रयागजी में मुझे बीमार छोड़कर भाग आए।

जब मैं किसी तरह यहाँ आई तो मुझ पर गोली चलाई। न जाने मुझसे क्या अपराध हुआ है। यदि प्लेग से मरकर मैं चुड़ैल हो गई हूँ तो इस प्रेत शरीर से भी मैं उनकी सेवा करने को तैयार हूँ। यदि वह मेरी इस वर्तमान दशा से घृणा करते हैं तो मुझसे भी यह तिरस्कार नहीं सहा जाता, मैं जाकर गंगा जी में डूब मरूँगी। पर एक बार मेरे बच्चे को तो बुला दे, मैं उसे गले तो लगा लूँ। अरे उसे छोड़कर मुझसे कैसे जिया जाएगा? हे परमेश्वर, तू यहीं मेरा प्राण ले ले।" यह कहकर वह उच्च स्वर से रोने लगी। ठाकुर साहब से ये सच्चे प्रेम से भरे हुए वियोग के वचन नहीं सहे गए। उनका हृदय गदगद हो गया, रोमांच हो आया और आँखों से आँसू गिरने लगे।

झट दौड़कर उन्होंने बहू जी को उठा लिया और कहा, "मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने जान-बूझकर तिरस्कार नहीं किया। यदि तुम मेरी पत्नी हो तो चाहे तुम मनुष्य देह में हो या प्रेत शरीर में, तुम हर अवस्था में मुझे ग्राह्य हो, यद्पि मेरे मन का संदेह अभी नहीं गया है। इसकी निवृत्ति का यत्न मैं धीरे-धीरे करता रहूँगा, पर तुमको मैं अभी से अपनी प्रिय पत्नी मानकर ग्रहण करता हूँ। यदि तुम्हारे संसर्ग से मुझे प्लेग-पीड़ा व प्रेत-बाधा भी हो जाए तो कुछ चिंता नहीं, मैं अब किसी आपत्ति से नहीं डरूँगा।" यह कहकर वह बहू जी को अपने हाथों का सहारा देकर लता भवन में ले गए और नवल जी को भी वहीं बुलाकर सब वृत्तांत पूछने लगे।

इतने ही में सत्यसिंह भी शहर से आ गया। जब उसने गाँव वालों से यह अद्भुत कथा सुनी तो वह उसका भेद समझ गया और ठाकुर साहब के सामने जाकर कहने लगा, "महाराज,! अब अपने मन

से शंका दूर कीजिए, यह सचमुच बहू जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कल नाइन इनको कफ़नाने लगी थी तो उसने कहा था कि उनकी देह गर्म है। मैंने इसकी जाँच करने के लिए कहा, पर दुष्ट नौकरों ने न करने दिया और उन्होंने ले जाकर कच्चा ही गंगा जी में फेंक दिया। अच्छा हुआ, नहीं तो अब तक जलकर बहू जी राख हो गई होतीं। मुझे निश्चय है कि बहू जी की जान नहीं निकली थी और गंगा जी की कृपा से वह बहती-बहती इसी घाट पर लगीं और जी उठीं। अब अपना भाग्य सराहिए। इनको फिर से अपनाइए और बधाई बजाइए।"

इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने फिर क्षमा माँगी और नि:शंक हो बहूजी को अंक से लगाया और प्रेमाश्रु बहाए। बहूजी भी प्रेम से विह्वल होकर नवल जी को गोद में लेकर बैठ गईं और उनके कंधे पर अपना सिर रख रोने लगीं। जब गाँववालों ने यह वृत्तांत सुना तो वे आनंद से फूल उठे और बहूजी के पुनर्जन्म के उत्सव में मृदंग, मंजीरा और फाग से डफ़ बजाकर नाचने-गाने लगे और स्त्रियाँ सब पान-फूल-मिठाई लेकर दौड़ीं और बहूजी को देवी मानकर उनका पूजन करने और क्षमा माँगने लगीं। बहू जी ने कहा, "इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं। यह मेरा दुर्भाग्य था जिसने ऐसे दिन दिखाए। अब ईश्वर की कृपा से जैसे मेरे दिन लौटे हैं, वैसे ही सबके लौटें।"

******

स्रोत : पुस्तक : इंदुमती व हिन्दी की अन्य पहली-पहली कहानियाँ (पृष्ठ 78) संपादक : विजयदेव झारी रचनाकार : मास्टर भगवानदास प्रकाशन : इतिहास शोध संस्थान संस्करण : 1994

शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 35-42
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

आपदा का अवसर : स्कूली शिक्षा पर कोविड़ के प्रभाव

प्रीति सिंह
शोध छात्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

कोविड-19 महामारी ने 2020 के प्रारंभ में ही वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी थी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। 2020 के मार्च माह में जब भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे, तो सरकार ने सख्त कदम उठाए, जिनमें देशव्यापी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपाय शामिल थे। इन उपायों का सबसे बड़ा असर बच्चों की स्कूली शिक्षा पर पड़ा। स्कूलों को बंद किया गया, परीक्षाओं को स्थगित किया गया और शिक्षा का पूरा ढांचा ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गया। इस लेख में हम कोविड-19 की पहली लहर के दौरान भारत में स्कूली शिक्षा पर हुए प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

कूटशब्द : कोविड-19, महामारी, शिक्षा, समाज, परीक्षा, शिक्षण।

भारत में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्य संक्रमण की दर को कम करना और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव को नियंत्रित करना था। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षिक संस्थान पूरी तरह से बंद कर दिए गए। यह कदम भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि यहां की अधिकांश शिक्षा प्रणाली पर ऑफलाइन शिक्षा निर्भर थी और ऑनलाइन शिक्षा का ढांचा कमजोर था।

शिक्षा में बदलाव

कोविड-19 के कारण विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ पूरी तरह से थम गईं। शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रस्तुत करने के लिए नए तरीके अपनाने पड़े। ऑनलाइन शिक्षा ने स्कूली शिक्षा के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि, इससे कुछ बच्चों और परिवारों के लिए नई संभावनाएँ खुलीं, लेकिन कई अन्य के लिए यह समस्या भी बन गई।

डिजिटल डिवाइड

भारत में डिजिटल डिवाइड यानी तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता, कोविड-19 के दौरान और भी स्पष्ट हो गई। शहरों में जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुविधा अधिक थी, वहां बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिल पाई। लेकिन ग्रामीण इलाकों, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की उपलब्धता सीमित थी, वहां बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा असंभव बन गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 30% बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। यह असमानता सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच एक और खाई को गहरा करने का कारण बनी।

मानसिक और शारीरिक प्रभाव

लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। लंबे समय तक घर पर रहने के कारण बच्चों में अकेलापन, चिंता और तनाव बढ़ने लगे। साथ ही, ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों के शारीरिक गतिविधियाँ भी सीमित हो गईं। स्कूलों के बंद होने से खेलकूद और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, जिससे बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

शिक्षकों के लिए चुनौती

कोविड-19 ने शिक्षकों के लिए भी कई चुनौतियाँ पेश कीं। बहुत से शिक्षक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, ऑनलाइन शिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और उपकरणों से वंचित थे। इसके अलावा, इंटरनेट की धीमी स्पीड और तकनीकी समस्याओं ने शैक्षिक

गतिविधियों को प्रभावित किया। शिक्षकों को लगातार नए शिक्षण तरीकों के साथ खुद को अनुकूलित करना पड़ा, जो कि आसान नहीं था। हालांकि, कुछ शिक्षकों ने इस स्थिति को सकारात्मक रूप में लिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके बच्चों को शिक्षित किया, लेकिन सभी शिक्षक इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे।

परीक्षा और परिणाम

कोविड-19 के कारण शैक्षिक वर्ष में कई बदलाव हुए। बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा और फिर वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों का सहारा लिया गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया और छात्रों को उनके पिछले परिणामों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया गया। हालांकि यह निर्णय छात्रों के लिए राहत का कारण था, लेकिन यह परीक्षा प्रणाली की पारंपरिक मान्यता को चुनौती भी थी।

ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानि

ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे भी थे। यह शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। छात्रों को घर बैठे पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर्स, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षिक सामग्री मिल रही थी। हालांकि, इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों को एक संतुलित और समग्र शिक्षा नहीं मिल पाई। खासकर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन और देखरेख की आवश्यकता थी। कोविड-19 की पहली लहर ने भारत में स्कूली शिक्षा को एक नई दिशा दी, लेकिन यह बदलाव कठिनाईयों से भरा था। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा के कई फायदे थे, लेकिन यह सभी वर्गों के बच्चों के लिए सुलभ नहीं था। इसके अलावा, यह बच्चों की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला भी साबित हुआ। भविष्य में यदि ऐसी स्थितियां फिर से उत्पन्न होती हैं, तो हमें शिक्षा के डिजिटलीकरण में समानता लाने और बच्चों की समग्र भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 के बाद की शिक्षा प्रणाली में सुधार

कोविड-19 ने शैक्षिक व्यवस्था में कई स्थायी परिवर्तन किए, जिनका असर अब भी देखने को मिल रहा है। महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने से जो शिक्षा की डिजिटल दिशा बनी, वह अब भी जारी है, और इसे स्थायी रूप से अपनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ हो, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

महामारी के बाद, कई स्कूलों ने blended learning (मिश्रित शिक्षा) की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दोनों का समावेश होता है। इसने शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और सुलभ बनाने की दिशा में काम किया है। हालांकि, इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जरूरी है कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जाए और सभी बच्चों को समान अवसर मिले।

भविष्य के लिए आवश्यक कदम

भारत में शिक्षा प्रणाली को कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थिति से बचाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि डिजिटल संसाधनों की पहुंच सभी बच्चों तक हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर जैसे उपकरण हों और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुलभ हो। इसके अलावा, शिक्षा के डिजिटल रूपांतरण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में भी सुधार की आवश्यकता है। शिक्षकों को नई तकनीकी विधियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी कक्षा में इनका प्रभावी उपयोग कर सकें। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता भी बेहतर होगी।

बच्चों की मानसिक और शारीरिक भलाई पर ध्यान

कोविड-19 के दौरान बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों का शारीरिक गतिविधियों से संपर्क कम हो गया, जिससे उनकी मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही, घर पर अकेले रहने के कारण बच्चों में तनाव और चिंता भी बढ़ी। भविष्य में बच्चों की मानसिक भलाई और शारीरिक विकास को प्राथमिकता देने के लिए स्कूलों में ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जो बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें और मानसिक रूप से संतुलित करें।

सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता

ऑनलाइन शिक्षा ने बच्चों को शारीरिक रूप से समाज से अलग कर दिया था, जिससे उनके सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल में भी कमी आई। स्कूलों में बच्चों को साथ में काम करने, खेलने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है, जो कि उनकी व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद, यह आवश्यक हो गया है कि स्कूलों में बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कोविड-19 के दौरान शिक्षा प्रणाली को कई तरह के परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि अगर भविष्य में कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, तो हमे और अधिक सशक्त और लचीला होना होगा। शिक्षा प्रणाली में डिजिटल और पारंपरिक तरीकों का सही मिश्रण, बच्चों की मानसिक और शारीरिक भलाई, और समग्र विकास पर जोर देना आवश्यक है। इसके साथ ही, शिक्षा के अधिकार को सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें डिजिटल संसाधनों की समानता और शिक्षा के अवसरों में समावेशिता को सुनिश्चित करना होगा। कुल मिलाकर, कोविड-19 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नया दृष्टिकोण दिया और इसके माध्यम से हमें शिक्षा के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ भी मिले। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अनुभवों से क्या सिखते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाते हैं।कोविड-19 और शिक्षा प्रणाली में स्थायी परिवर्तन

कोविड-19 ने शिक्षा के पारंपरिक तरीके को पूरी तरह से चुनौती दी। महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के दौरान शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए, डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे का मजबूत होना आवश्यक है। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने कई बच्चों के लिए नया मार्ग खोला, लेकिन यह भी सामने आया कि हर बच्चा इस तकनीकी युग में समृद्ध नहीं हो सकता है। इस महामारी ने भारत में शिक्षा प्रणाली में कई स्थायी बदलावों की शुरुआत की, जिनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन डिजिटल शिक्षा का महत्व था। अब, स्कूलों में तकनीकी उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, और यह स्कूलों के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हालांकि, भारत जैसे विकासशील देश में जहां गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, वहां शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिजिटल शिक्षा की चुनौती और अवसर

डिजिटल शिक्षा के विस्तार में जो अवसर हैं, वहीं चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत में करीब 40% बच्चे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों से आने वाले बच्चे, डिजिटल संसाधनों से वंचित हैं। स्मार्टफोन, इंटरनेट, और अन्य तकनीकी उपकरणों की कमी ने उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा को अप्राप्य बना दिया। इस स्थिति ने "डिजिटल डिवाइड" (तकनीकी संसाधनों की असमानता) को उजागर किया, जिससे शिक्षा में असमानता और बढ़ गई। हालांकि, कोविड-19 के बाद, सरकार ने और निजी क्षेत्र ने इस समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए। कई स्कूलों और शिक्षण संस्थानों ने छात्रों को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन या टैबलेट देने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शैक्षिक सामग्री को मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर उपलब्ध कराया गया ताकि छात्रों को शिक्षा में कोई बाधा न आए।

सरकारी प्रयास और पहल

भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई पहल की। **दीक्षा पोर्टल**, **स्वयं पोर्टल**, और **ई-आशा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स** के माध्यम से

लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुँचाई गई। इसके अलावा, **रेडियो, टीवी और मोबाइल ऐप्स** का उपयोग करके भी शिक्षा प्रदान की गई, ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। हालांकि, यह प्रयास शुरूआत में संतोषजनक थे, लेकिन जब तक यह पूरी तरह से प्रभावी और समावेशी नहीं बनेगा, तब तक पूरी शिक्षा प्रणाली में समानता सुनिश्चित करना कठिन होगा।

बच्चों की मानसिक सेहत का महत्व

महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा के रूप में हुए बदलावों ने बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। बच्चों की व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में कमी आई, जिससे उनमें अकेलापन, चिंता और मानसिक दबाव उत्पन्न हुआ। लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद होने से बच्चों के लिए अपने दोस्तों से मिलने, खेलकूद करने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर समाप्त हो गया था। इसने बच्चों के मानसिक विकास में रुकावट डाली। शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन इस दौरान बच्चों को मानसिक रूप से समर्थन देने के लिए विशेष पहल की आवश्यकता थी। कई स्कूलों ने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया, ताकि बच्चों को मानसिक दबाव से बचाया जा सके। इसके अलावा, पैरेंट्स और शिक्षकों को यह भी समझाने की आवश्यकता थी कि बच्चों को केवल शैक्षिक गतिविधियों में ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक विकास में भी सहायता मिलनी चाहिए।

शिक्षा में समानता की दिशा

कोविड-19 ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या हम भारत में सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित कर पा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच शिक्षा का भेद स्पष्ट रूप से बढ़ा है। उच्च वर्ग के बच्चों को अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी और अच्छे तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता है, जबकि निम्न वर्ग के बच्चों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर डिजिटल समानता सुनिश्चित नहीं करतीं, तो भारत में शिक्षा की असमानता और भी बढ़ सकती है। सरकार को

शिक्षा में समानता लाने के लिए अधिक संसाधन और निवेश करने की आवश्यकता है। साथ ही, यह जरूरी है कि बच्चों की सामाजिक और मानसिक भलाई पर भी ध्यान दिया जाए। इस दिशा में, कई राज्य सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे नि:शुल्क ऑनलाइन कक्षाएं, टैबलेट वितरण योजनाएं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देने वाले कार्यक्रम।

निष्कर्ष

भारत में कोविड-19 की पहली लहर ने शिक्षा प्रणाली में एक अनिश्चितता का माहौल पैदा किया, लेकिन इसने साथ ही कई अवसर भी प्रदान किए। डिजिटल शिक्षा, हालांकि कई बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन इसने शिक्षा को एक नई दिशा दी। अब आवश्यकता है कि हम शिक्षा के डिजिटल रूपांतरण को अधिक सुलभ और समावेशी बनाएं, ताकि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हुए, हमें शिक्षा में समानता, मानसिक स्वास्थ्य, और शारीरिक भलाई पर भी ध्यान देना होगा, ताकि बच्चे मानसिक और शारीरिक दृष्टि से समृद्ध हो सकें। कोविड-19 ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल शैक्षिक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।

*****

संदर्भ

- World Health Organization. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. https://www.who.int
- Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2020). *Guidelines for Covid-19 management*. https://www.mohfw.gov.in
- World Bank. (2020). *The COVID-19 Pandemic and its Impact on Developing Countries*. https://www.worldbank.org
- UNICEF. (2020). *The Impact of COVID-19 on Children's Education and Well-being*. https://www.unicef.org
- Ministry of Education, Government of India. (2020). *Education during COVID-19 Pandemic: A National Response*. https://www.mhrd.gov.in

शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 43-50
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

कोविड़ के दौरान श्रमिकों का महानगरों से पलायन: एक सबक

राजेन्द्र कुमार
प्रकाशन अधिकारी
संवाद शिक्षा समिति

सार

कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का महानगरों से पलायन केवल एक आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारतीय श्रमिकों की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में एक गंभीर चेतावनी थी। इस पलायन ने यह साबित किया कि भारतीय श्रमिकों के लिए एक समृद्ध और समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचा जरूरी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आर्थिक विकास के साथसाथ सामाजिक और मानवाधिकारों का संरक्षण करना उतना ही महत्वपूर्ण है-, ताकि किसी भी संकट के समय श्रमिकों को असुरक्षित महसूस न हो।

कूटशब्द: कोविड-19, श्रमिक, पलायन, आर्तव्यवस्था, महानगर

कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को जिस तरह से प्रभावित किया, वह अभूतपूर्व था। महामारी के कारण लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने न केवल व्यवसायों को ठप कर दिया, बल्कि लाखों श्रमिकों को अपनी रोज़ी-रोटी और आश्रय खोने के साथ-साथ शहरों से अपने घरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। विशेष रूप से 2020 और 2021 के दौरान, भारत के महानगरों से लाखों श्रमिकों का पलायन एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गया, जिसने देश के श्रमिकों के अस्तित्व, उनके जीवन-यापन और शहरों की सामाजिक-आर्थिक संरचना पर गहरे प्रभाव डाले। इस लेख में हम कोविड-19 के दौरान महानगरों से श्रमिकों के पलायन को समझने के प्रयास करेंगे और इसके पीछे के कारणों, परिणामों और इससे मिले महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा करेंगे, जो अगस्त 2021 तक के आंकड़ों पर आधारित हैं।

पलायन क्यो हुआ

लॉकडाउन और आर्थिक मंदी: कोविड-19 के चलते मार्च 2020 में अचानक लागू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन, जिसे 21 दिन से बढ़ाकर कई महीनों तक बढ़ा दिया गया, ने देश के अधिकांश उद्योगों, निर्माण, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्रों को ठप कर दिया। इससे मजदूरी पर निर्भर श्रमिकों के पास कोई काम नहीं बचा, और उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होने लगी। इसने श्रमिकों को शहरों से अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए मजबूर किया।

आश्रय और भोजन की कमी: लॉकडाउन के दौरान, महानगरों में रह रहे कई श्रमिकों को न केवल काम का नुकसान हुआ, बल्कि उन्हें रहने और भोजन की भी गंभीर कमी महसूस हुई। ऐसे में, उनके पास घर लौटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। श्रमिकों को खाली पेट और निराशा के साथ अपने गांवों की ओर लौटना पड़ा। विशेष रूप से, प्रवासी श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों में रहने और काम करने के लिए कोई सुरक्षा या सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते थे।

स्वास्थ्य संकट और भय: महामारी के दौरान, वायरस के फैलने की आशंका ने श्रमिकों में एक और डर पैदा किया। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बड़े शहरों में संक्रमण का खतरा बढ़ने से श्रमिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए घर लौटने का निर्णय लिया।

सामाजिक दूरी और परिवहन प्रतिबंध: लॉकडाउन के दौरान, सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थीं, जिससे श्रमिकों को घर जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, हजारों श्रमिकों ने पैदल चलकर या साइकिलों पर लंबी यात्रा की, जो कि उनकी कड़ी परिस्थितियों और असहनीय स्थिति को दर्शाता है।

पलायन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

शहरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: श्रमिकों के महानगरों से पलायन का सीधा असर शहरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। निर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, सेवाएँ, माल ढुलाई, कृषि, और अन्य छोटे-व्यवसाय प्रभावित हुए। विशेष रूप से, निर्माण कार्यों में बड़ी कमी आई, जिससे शहरों के विकास की गति रुक गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि: पलायन के कारण, गांवों में श्रमिकों की संख्या में इज़ाफा हुआ, जिससे कुछ स्थानों पर कृषि कार्य में वृद्धि हुई, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह बदलाव स्थायी नहीं था। श्रमिकों

की एक बड़ी संख्या को अपनी पारंपरिक नौकरी के लिए स्थानों पर जाना पड़ा, जिससे गांवों में श्रमिकों की कमी होने लगी।

मानवाधिकार और श्रमिकों की स्थिति: कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का पलायन इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। श्रमिकों को एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, जो उन्हें आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और राहत प्रदान कर सके। महामारी ने इस असमानता और श्रमिकों के अधिकारों के प्रति लापरवाही को उजागर किया।
पलायन के आंकड़े

कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों के पलायन का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन विभिन्न रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2021 तक लगभग 6 करोड़ श्रमिकों ने देश के विभिन्न महानगरों और शहरी क्षेत्रों से अपने गृह राज्यों की ओर पलायन किया था। इनमें से अधिकांश श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से थे।

भारत सरकार ने कई राज्यों में श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनें और परिवहन सेवाएं शुरू कीं, ताकि वे सुरक्षित रूप से घर लौट सकें। हालांकि, ये उपाय अस्थायी थे और श्रमिकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक और स्थायी समाधानों की आवश्यकता थी।

पलायन से मिला सबक

श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों की आवश्यकता: कोविड-19 के दौरान श्रमिकों का पलायन यह दर्शाता है कि सरकारों को श्रमिकों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए। उन्हें आवास, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में वे शहरों में न फंसे रहें और गांव लौटने के लिए मजबूर न हों।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा: पलायन से यह भी स्पष्ट हुआ कि केवल शहरी क्षेत्रों में विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि गांवों में भी विकास कार्यों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, तो श्रमिकों को शहरों की ओर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय नीति: भारत में प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर एक समग्र और प्रभावी राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, जो उनके कार्य, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोविड-19 के दौरान मिले इस अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रवासी श्रमिकों

की स्थिति को लेकर नीतियां बनाने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी संकट के समय में असुरक्षित न महसूस करें।

सरकार ने क्या किया

कोविड-19 महामारी के दौरान, खासकर लॉकडाउन के समय, भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि वे संकट से निपट सकें और उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। इन कदमों का उद्देश्य श्रमिकों के पलायन को रोकना, उन्हें राहत प्रदान करना, और उन्हें सुरक्षित रूप से घर लौटने का मार्ग प्रशस्त करना था। नीचे कुछ प्रमुख कदमों का विवरण दिया गया है, जिन्हें सरकार ने कोविड-19 के दौरान उठाया:

सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की शुरुआत

लॉकडाउन के दौरान, लाखों श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने विशेष ट्रेनें (श्रमिक ट्रेनें) शुरू कीं, जिनके माध्यम से श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक सुरक्षित रूप से भेजा गया। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने बसों की व्यवस्था भी की, जिससे श्रमिकों को शहरों से उनके गांवों तक पहुंचने में सहायता मिली।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)

महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एक राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए:

- **राशन वितरण**: यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)NFSA) के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ गरीब नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी दिया गया।
- **मुफ्त गैस सिलेंडर**: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए गए।
- **वेतन भत्ते**: निर्माण श्रमिकों और अन्य असंगठित श्रमिकों को तत्काल राहत के रूप में वेतन भत्ते और सहायता दी गई।

मजदूरों के लिए रोजगार कार्यक्रम

- **मनरेगा)MGNREGA)**: ग्रामीण श्रमिकों के लिए, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया। इस योजना के तहत ग्रामीण (मनरेगा) इलाकों में श्रमिकों को100 दिन का काम और उनके कार्य के लिए उचित वेतन प्रदान किया गया।
- **कृषि क्षेत्र में मदद**: कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में मदद के लिए, सरकार ने किसानों और श्रमिकों के लिए ऋण और अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वे महामारी के दौरान आर्थिक रूप से मजबूती से खड़े रह सकें।

आवास और आश्रय के लिए व्यवस्था

महामारी के दौरान, सरकार ने श्रमिकों को आश्रय प्रदान करने के लिए कई उपाय किए:

- **सुरक्षित आश्रय स्थल**: अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए जहां श्रमिक सुरक्षित रूप से रह (सेंटर्स) सकें। इन केंद्रों पर भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं।
- **नगरीय निकायों द्वारा सहायता**: राज्य और नगर निगमों ने श्रमिकों के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम शुरू किए और उन्हें स्वच्छता, पानी और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कीं।

नौकरी और वेतन सुरक्षा

- **कर्मचारी प्राधिकृत निधि)EPF)**: सरकार ने EPF में योगदान बढ़ाया और श्रमिकों के लिए राहत की घोषणा की, ताकि वे आर्थिक संकट के दौरान वित्तीय संकट से बच सकें।
- **स्वास्थ्य बीमा**: श्रमिकों के लिए सरकार ने **आयुष्मान भारत योजना** के तहत स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान कीं, जिससे उन्हें चिकित्सा देखभाल मिल सके।
- **कर्मचारी से संबंधित नियमों में राहत**: सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए कुछ नियमों में छूट दी, ताकि वे अपने कर्मचारियों को नौकरी में बनाए रखें।

नौकरी से जुड़े कानूनों में बदलाव

सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए श्रम कानूनों में कुछ संशोधन किए, ताकि कंपनियां और कारख़ाने बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसमें **ईएसआईसी (ESIC)** और **EPF** जैसी योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को सुविधाएं बढ़ाई गई।

डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का समर्थन

लॉकडाउन के दौरान, स्कूलों और कॉलेजों के बंद होने के कारण शिक्षा का स्तर प्रभावित हुआ। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की, जैसे:

- **दीक्षा पोर्टल**: यह पोर्टल शिक्षकशिक्षार्थी के बीच ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया - गया था।
- **स्वयं पोर्टल**: इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए, जिससे छात्रों को घर बैठे अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिला।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

- **कोविड-19 टेस्टिंग और उपचार सुविधाएं**: सरकार ने कोविड-19 के परीक्षण और उपचार के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को संसाधन मुहैया कराए। इसके अलावा, "कोविड-19 इन्फोऐप और " टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं भी शुरू की गईं, ताकि लोगों को दूरस्थ स्थानों से भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
- **टीकाकरण अभियान**: कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों को टीका लगाया गया। अगस्त 2021 तक, सरकार ने व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया।

मजदूरों के लिए सशक्तिकरण योजनाएं

सरकार ने विभिन्न श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं का निर्माण किया, जैसे:

- **श्रमिकों का पंजीकरण**: कई राज्यों ने श्रमिकों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वे राहत पैकेज, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कई कदम उठाए, जो श्रमिकों की मदद करने, उनके पलायन को रोकने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए थे। हालांकि इन उपायों ने बड़ी राहत दी, फिर भी यह स्पष्ट हुआ कि महामारी के बाद भी श्रमिकों की स्थायी सुरक्षा, कल्याण और रोजगार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए लंबी अवधि की योजनाओं की आवश्यकता है।

महानगर क्या करें

कोविड-19 महामारी ने न केवल भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को चुनौती दी, बल्कि महानगरों की विकास और श्रमिकों के साथ उनके संबंधों को भी पूरी तरह से परिभाषित किया। लॉकडाउन के दौरान लाखों श्रमिकों का महानगरों से पलायन एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसने इन शहरों और उनके विकास मॉडल को गहरे सवालों के सामने खड़ा किया। इस पलायन ने महानगरों को कई महत्वपूर्ण सबक दिए, जिन्हें नकारा नहीं किया जा सकता।

विकास के लिए समावेशिता और समानता की आवश्यकता

महानगरों में प्रवासी श्रमिकों का पलायन इस तथ्य को उजागर करता है कि इन शहरों का विकास केवल बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और आर्थिक नीतियों तक सीमित नहीं हो सकता। इन शहरों के विकास का वास्तविक उद्देश्य तब पूरा होगा जब यहां रहने वाले श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता और उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा। महानगरों को यह समझना होगा कि शहर का सच्चा विकास तभी होगा जब श्रमिकों को उचित कामकाजी माहौल, सामाजिक सुरक्षा, और बेहतर जीवन-यापन की स्थिति मिले।

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना आवश्यक

कोविड-19 के दौरान श्रमिकों को उनके काम की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना पड़ा। अगर श्रमिकों के पास स्वास्थ्य, आवास, और रोजगार की कोई गारंटी होती, तो वे इस तरह से पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होते। महानगरों को यह समझना होगा कि श्रमिकों को केवल आर्थिक संसाधनों के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन्हें जीवन-यापन की बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इससे न केवल उनकी भलाई सुनिश्चित होगी, बल्कि शहरों में स्थिरता और विकास भी बढ़ेगा।

महानगरों में श्रमिकों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं

महानगरों में श्रमिकों को अक्सर अव्यवस्थित और असुरक्षित आवास स्थितियों में रहना पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान, जब इन श्रमिकों को घर लौटने का विकल्प नहीं मिला, तो यह स्थिति और भी भयावह हो गई। महानगरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों के लिए सस्ती और सुरक्षित आवास सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में अपने काम की जगह से बाहर जाने के बजाय सुरक्षित रह सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ समन्वय बढ़ाना

महानगरों के विकास को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं किया जा सकता। जब श्रमिकों को महानगरों से पलायन करना पड़ता है, तो यह दर्शाता है कि शहरों को अपने विकास के साथ-साथ ग्रामीण

क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कार्य के अवसर होंगे, तो श्रमिकों को शहरों में पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इससे महानगरों पर दबाव भी कम होगा।

सार्वजनिक परिवहन और संकट के समय के लिए बेहतर योजनाएं

महानगरों में श्रमिकों के पलायन के दौरान सार्वजनिक परिवहन का बुरी तरह से संकट आया। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का बंद होना, श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। महामारी के बाद, महानगरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संकट के समय में उनके पास एक समग्र और प्रभावी परिवहन योजना हो, ताकि श्रमिकों को आपातकालीन स्थितियों में अपने घर लौटने में कोई कठिनाई न हो।

प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना

महानगरों को यह स्वीकार करना होगा कि प्रवासी श्रमिकों की स्थिति के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उनके लिए एक समग्र नीति बनानी चाहिए, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की सुनिश्चितता पर केंद्रित हो। यह पलायन महानगरों को यह समझने का एक संकेत था कि श्रमिकों के बिना, शहरों का विकास और उनकी समृद्धि अधूरी है।

महानगरों का आर्थिक मॉडल पुनः समीक्षा करें

महानगरों का आर्थिक मॉडल मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण, उच्च आय, और बड़े पैमाने पर सेवा क्षेत्र पर आधारित है। कोविड-19 के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि शहरों में कार्य करने वाले श्रमिकों का भला करना बेहद आवश्यक है। इन शहरों को पुनः यह विचार करने की आवश्यकता है कि उनका विकास मॉडल कितना समावेशी है और क्या यह शहर के सभी निवासियों की भलाई सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

महानगरों से श्रमिकों के पलायन ने भारतीय शहरीकरण और विकास प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। कोविड-19 ने यह साबित कर दिया कि केवल शहरी विकास और अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है; बल्कि, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की भलाई और उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। महानगरों को इन सबकों को समझकर अपने विकास मॉडल में समावेशिता और संवेदनशीलता को शामिल करना होगा, ताकि भविष्य में श्रमिकों को संकट के समय में महानगरों से पलायन करने की आवश्यकता न पड़े।

*****

शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 51-58
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

आलेख

कोविड़ में स्वास्थ्य सेवाएं: एक आंकलन

दिनेश कुमार
सहायक प्रोफेसर
एसआरआईटीआई
आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली

सार

कोविड-19 महामारी ने न केवल दुनियाभर के देशों को प्रभावित किया, बल्कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जबरदस्त दबाव डाला। मार्च 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद से, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन महामारी की अप्रत्याशित वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया। अगस्त 2021 तक, भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी समस्याएं भी उभर कर सामने आईं इस लेख में हम कोविड-19 के संदर्भ में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का आंकलन करेंगे, और इसके साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी मूल्यांकन करेंगे।

कूटशब्दः महामारी, कोविड़, स्वास्थ्य, प्रकोप, सुविधाएं।

कोविड-19 महामारी के दौरान, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को अभूतपूर्व दबाव का सामना करना पड़ा। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित क्षमता के बावजूद, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से पूरी प्रणाली पर भारी असर पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी रही। अगस्त 2021 तक, भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर आई, जो कहीं अधिक घातक और तीव्र थी, जिससे अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी हो गई। कई राज्य, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और केरल, में कोविड-19 के मरीजों की संख्या एक साथ बढ़ी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक दबाव पड़ा।स्वास्थ्य

अवसंरचना का विस्तार

सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के कई कदम उठाए:

- **कोविड-19 के उपचार के लिए अस्पतालों का विस्तार**: सरकार ने देशभर में विशेष कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की और कई सामान्य अस्पतालों को कोविड-19 उपचार के लिए समर्पित किया।
- **मेडिकल सुविधाओं में सुधार**: कई राज्यों में अस्पतालों को आवश्यक मेडिकल उपकरणों जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सांद्रक, और दवाइयों से सुसज्जित किया गया।
- **कोविड-19 सेंटर और कोल्ड चेन**: सरकार ने कोविड-19 के उपचार, परीक्षण, और टीकाकरण के लिए व्यापक कोल्ड चेन नेटवर्क और सेंटर स्थापित किए।

ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति

कोविड-19 के गंभीर मामलों के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ऑक्सीजन था। अप्रैल-मई 2021 में जब संक्रमण की दूसरी लहर आई, तो देशभर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी हो गई थी। इस संकट से निपटने के लिए, भारत सरकार ने तत्काल ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए:

- **ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार**: सरकार ने उद्योगों और अन्य क्षेत्रों से ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी की और विभिन्न राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन मुहैया कराई।
- **मेडिकल आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर सहयोग की अपील की, और कई देशों से मेडिकल आपूर्ति जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर, और कोविड-19 दवाइयाँ प्राप्त की।

टीकाकरण अभियान

कोविड-19 के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक था **टीकाकरण अभियान**। अगस्त 2021 तक, भारत में **कोविड-19 टीकाकरण अभियान** तेज़ी से चल रहा था, और सरकार ने इसे प्राथमिकता दी:

- **टीकों की आपूर्ति और वितरण**: भारत सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे स्वदेशी टीकों के साथसाथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय टीकों का आयात भी किया। शुरुआत में - स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइनवर्कर्स को टीका लगाया गया, उसके बाद बुजुर्गों और उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता दी गई।
- **टीकाकरण केंद्रों का नेटवर्क**: देशभर में टीकाकरण के लिए लाखों टीकाकरण केंद्र खोले गए। सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की, जिससे नागरिक आसानी से टीका लगवा सकते थे।
- **टीकाकरण की गति**: अगस्त 2021 तक, भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीकों की खुराकें दी थीं, जो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक था।

स्वास्थ्यकर्मियों की कमी

कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों, और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर भारी दबाव था। कोविड-19 से संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या भी बढ़ी, जिसके कारण उनके लिए काम करने की परिस्थितियाँ और कठिन हो गईं। इसके समाधान के लिए, सरकार ने:

- **स्वास्थ्यकर्मियों के लिए अतिरिक्त राहत पैकेज**: डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सरकार ने विशेष बीमा योजनाएं शुरू की और उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की।
- **स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती**: विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने अस्थायी तौर पर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती की और उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित किया।

टेस्टिंग और ट्रैकिंग

कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए **टेस्टिंग और ट्रैकिंग** एक महत्वपूर्ण कदम था:

- **आरटीपीसीआर टेस्टिंग-**: सरकार ने कोविड-19 के लिए टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया और राज्यों में परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया। भारत में अगस्त 2021 तक करोड़ों कोविड-19 टेस्ट किए गए थे।
- **एप्स और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म**: सरकार ने **आरोग्य सेतु ऐप** और **कोविड-19 डेटा ट्रैकिंग** जैसी डिजिटल सेवाओं का संचालन किया, जिससे लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी मिलती रही और उन्हें सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार

कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए सरकार ने कई दीर्घकालिक उपायों पर भी विचार किया:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**)NHM): सरकार ने एनएचएम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन दिया और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को बढ़ाया।
- **अस्पतालों और चिकित्सा उपकरणों का विस्तार**: कोविड-19 के बाद, स्वास्थ्य ढांचे में स्थायी सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया और अस्पतालों और चिकित्सा उपकरणों की संख्या बढ़ाई गई। अगस्त 2021 तक, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए, लेकिन कोविड-19 के सामने यह चुनौती बहुत बड़ी थी। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, ऑक्सीजन की आपूर्ति, और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान केवल समयसमय पर उठाए गए तात्कालिक कदमों - से नहीं हो सकता था। हालांकि, टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य अवसंरचना के सुधार से भविष्य में इस तरह के संकट से निपटने में मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य में डॉक्टरों की भूमिका

कोविड-19 महामारी ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को चुनौती दी, बल्कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी यह अभूतपूर्व संकट था। इस महामारी के दौरान डॉक्टरों ने अपनी न केवल पेशेवर जिम्मेदारी निभाई, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका काम केवल मरीजों का इलाज करना ही नहीं था, बल्कि वे संकट की घड़ी में एक मार्गदर्शक, सहायक और आशा की किरण बने।
यहां कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों की भूमिका के कुछ मुख्य पहलुओं का विवरण किया गया है:

मरीजों का निदान और उपचार

कोविड-19 के प्रसार के साथ, डॉक्टरों ने संक्रमित मरीजों का निदान किया और उन्हें उपचार देने का कार्य किया। चूंकि कोविड-19 एक नई बीमारी थी, जिससे संबंधित जानकारी पहले से नहीं थी, डॉक्टरों को समय-समय पर नए इलाज और उपचार प्रोटोकॉल के बारे में सीखना और अपनाना पड़ा। यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि महामारी के दौरान लगातार नए-नए शोध और दिशा-निर्देश सामने आ रहे थे।

- **आरटीपीसीआर टेस्टिंग-**: डॉक्टरों ने संक्रमित व्यक्तियों का परीक्षण किया और निदान के आधार पर उपचार प्रक्रिया शुरू की।
- **ऑक्सीजन सपोर्ट**: गंभीर मामलों में, डॉक्टरों ने ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर का इस्तेमाल, और अन्य जीवन रक्षक उपायों का सहारा लिया।

रोगियों की देखभाल और मानसिक समर्थन

कोविड-19 के दौरान, अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने न केवल शारीरिक उपचार किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सहारा दिया। कई मरीजों को डर, अकेलापन

और घबराहट का सामना करना पड़ा, खासकर जब उनके परिवारजनों से मिलने की अनुमति नहीं थी।

- **मनोवैज्ञानिक समर्थन**: डॉक्टरों ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया और मरीजों को सांत्वना देने, उनके डर को कम करने और उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार संवाद बनाए रखा।
- **परिवारों के साथ संवाद**: डॉक्टरों ने मरीजों के परिवारों से नियमित रूप से संपर्क किया, ताकि उन्हें उपचार की प्रक्रिया और मरीज की स्थिति के बारे में अपडेट किया जा सके।

3. स्वास्थ्यकर्मियों की नेतृत्व भूमिका

कोविड-19 के संकट के दौरान, डॉक्टरों ने स्वास्थ्यकर्मियों की पूरी टीम का नेतृत्व किया। वे केवल इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए रणनीति बनाने, स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और समन्वय स्थापित करने का काम भी कर रहे थे।

- **टीम का नेतृत्व**: डॉक्टरों ने नर्सों, फार्मासिस्टों, और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को संकट के समय में नेतृत्व प्रदान किया और अस्पतालों में कार्यों के समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित किया।
- **संक्रमण नियंत्रण**: डॉक्टरों ने अस्पतालों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक एहतियात बरती, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट)PPE) का सही उपयोग, मरीजों से संपर्क सीमित करना, और संक्रमण नियंत्रण के उपायों का पालन करना।

टीकाकरण अभियान में भागीदारी

अगस्त 2021 तक, भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस अभियान में डॉक्टरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया।

- **टीकाकरण केंद्रों में योगदान**: डॉक्टरों ने टीकाकरण केंद्रों पर जाकर टीके लगाने का कार्य किया और सुनिश्चित किया कि योग्य लोग समय पर टीका प्राप्त करें।
- **जन जागरूकता**: डॉक्टरों ने जनता को कोविड-19 के टीके के महत्व के बारे में बताया और यह भी सुनिश्चित किया कि लोग अफवाहों से बचें और टीकाकरण करवाएं।

नए उपचार और प्रोटोकॉल का पालन

कोविड-19 महामारी के दौरान, डॉक्टरों को नए उपचार प्रोटोकॉल और दवाओं के बारे में सीखने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता थी।

- **नई दवाओं का परीक्षण**: महामारी के दौरान डॉक्टरों ने नई दवाओं और उपचार विधियों को आजमाया और देखा कि कौन सी दवाएं संक्रमित मरीजों के लिए प्रभावी हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय शोध में भागीदारी**: डॉक्टरों ने शोधकर्ता और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नई जानकारी और उपचार प्रोटोकॉल पर काम किया, जिससे वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के इलाज की रणनीतियों में सुधार हुआ।

स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना

महामारी के दौरान, डॉक्टरों ने न केवल मरीजों का इलाज किया, बल्कि पूरे समाज में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- **स्वच्छता और सुरक्षित दूरी**: डॉक्टरों ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, और हाथ धोने के महत्व के बारे में शिक्षित किया।
- **स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन्स**: डॉक्टरों ने सरकारी गाइडलाइन्स का पालन करने की अपील की, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें और वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

संकट के दौरान व्यक्तिगत बलिदान

कोविड-19 के दौरान, डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की देखभाल की। उन्हें अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा, कई बार उन्हें अपने परिवार से भी दूरी बनानी पड़ी। डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया और कई स्वास्थ्यकर्मी इस महामारी के दौरान संक्रमित भी हुए, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के दौरान, डॉक्टरों ने एक सशक्त और निर्णायक भूमिका निभाई। उनके बिना, महामारी का मुकाबला करना असंभव होता। उनके उपचार, मानसिक समर्थन, नेतृत्व, और जागरूकता अभियान ने समाज को महामारी से निपटने के लिए तैयार किया। डॉक्टरों ने न केवल अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि उन्होंने मानवता की सेवा में भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कोविड-19 महामारी ने यह सिद्ध कर दिया कि डॉक्टर समाज के लिए एक अनमोल धरोहर हैं, और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

*****

संदर्भ

- **World Health Organization (WHO).** (2020). *The Role of Health Workers in the Response to the COVID-19 Pandemic*. World Health Organization. Retrieved from: https://www.who.int
- **Government of India, Ministry of Health and Family Welfare.** (2021). *COVID-19 Management Guidelines*. Government of India. Retrieved from: https://www.mohfw.gov.in
- **The Lancet.** (2020). *COVID-19: Protecting Health Care Workers*. The Lancet, 395(10228), 1587-1588. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30644-2.
- **Indian Medical Association (IMA).** (2021). *Role of Doctors in Combatting COVID-19*. IMA. Retrieved from: https://www.ima-india.org
- **Maharashtra Medical Council.** (2020). *Medical Professionals in the COVID-19 Response*. Maharashtra Medical Council. Retrieved from: https://www.maharashtramedicalcouncil.in

शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 59-70
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

अनुभव

एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा अनुभव

चंचल
सामाजिक कार्यकर्ता
संवाद शिक्षा समिति

मेरा नाम चंचल है, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न समुदायों में काम करती हूँ। कोविड-19 महामारी ने हमें सबको गहरे संकट में डाला, लेकिन इस दौरान मुझे समाज सेवा के एक नए रूप का अनुभव हुआ, जिससे मेरे जीवन और मेरे कार्य के दृष्टिकोण में भी बड़ा परिवर्तन आया। जब यह महामारी शुरू हुई, तो पहले तो मैं भी डरी हुई थी, क्योंकि यह एक बिल्कुल नया अनुभव था और किसी को भी इसका पूर्ण ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जब स्थिति और गंभीर हुई, तो मैंने महसूस किया कि हमें हर स्थिति में मदद के लिए एकजुट होना चाहिए, और मैंने अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाना शुरू किया।

कोविड-19 के पहले लॉकडाउन के दौरान, लोग बहुत डरे हुए थे। खासकर गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए यह समय बेहद कठिन था। शहरों में रोजगार बंद हो गए थे, और लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए हताश हो रहे थे। इस स्थिति में, मुझे और मेरे साथी कार्यकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि हमें तत्काल राहत कार्य शुरू करना होगा। मेरे पहले कदम में, मैंने अपने संगठन के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्री जुटाना शुरू किया। हम राशन, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य आवश्यक वस्त्र एकत्र कर रहे थे, ताकि इसे गरीब और असहाय परिवारों में वितरित किया जा सके। हम घर-घर जाकर यह सामग्री पहुंचाने लगे, और इस दौरान लोगों के बीच एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हुआ।

कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संकट ने हमें यह एहसास दिलाया कि केवल सरकारी प्रयासों से यह समस्या हल नहीं हो सकती। जब अस्पतालों में भीड़ बढ़ी, तो बहुत से लोग दवाइयों और चिकित्सा आपूर्ति के बिना संघर्ष कर रहे थे। मैंने और मेरे साथियों ने स्वास्थ्य सेवा के लिए भी काम करना शुरू किया। हम डॉक्टरों और नर्सों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), मास्क, और अन्य जरूरी सामग्रियों की व्यवस्था करने में जुट गए। साथ ही, हमने एक अभियान शुरू किया जिसमें लोगों को कोविड-19 के लक्षणों, प्रोटोकॉल और उपचार के बारे में जागरूक किया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल करते हुए हम कोविड-19 के बारे में सही जानकारी फैलाते थे ताकि अफवाहों और गलतफहमियों को रोका जा सके।

लॉकडाउन के दौरान, बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई। मैंने और मेरे संगठन के साथियों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास डिजिटल साधन नहीं थे। हम बच्चों को किताबें और अध्ययन सामग्री वितरित करते थे और कुछ बच्चों को फोन या टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई में मदद करने का प्रयास करते थे। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा था। महामारी ने लोगों में मानसिक तनाव और डर को बढ़ा दिया था। मैंने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए ऑनलाइन सेशन आयोजित किए, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तनाव को कम करने के उपाय बताए और लोगों को मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रेरित किया।

कोविड-19 ने कृषि क्षेत्र और श्रमिक वर्ग को भी बुरी तरह प्रभावित किया। किसानों को फसल की बिक्री में समस्या आ रही थी, और श्रमिकों को उनके काम से हाथ धोना पड़ा था। मैंने और मेरे साथियों ने किसानों के उत्पादों की मार्केटिंग में मदद की, ताकि उनके पास उचित मूल्य मिल सके। साथ ही, श्रमिकों के लिए खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्त्रों का वितरण किया। इसके अलावा, जब श्रमिक अपने घरों की ओर पलायन करने लगे, तो हमने उनके लिए परिवहन व्यवस्था की और सुनिश्चित किया कि वे सुरक्षित रूप से अपने घर लौट सकें।

जब कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, तो एक और चुनौती सामने आई: लोगों को टीके के बारे में जागरूक करना और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना। मैंने और मेरे संगठन के साथियों ने ग्रामीण इलाकों और शहरी स्लम इलाकों में

जाकर लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया। हमने कोविड-19 के बारे में अफवाहों को खारिज करते हुए लोगों को सही जानकारी दी, ताकि वे सुरक्षित रूप से टीका लगवा सकें।

कोविड-19 के दौरान समाज सेवा में अपना योगदान देना मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक अनुभव था। यह समय शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थकाने वाला था, लेकिन साथ ही यह बहुत ही प्रेरणादायक भी था। मैंने अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक जिम्मेदारी महसूस की और समझा कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, और जब तक हम एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी संकट ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। यह महामारी हमें यह भी सिखाती है कि समाज सेवा में केवल धन या संसाधनों की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल से किया गया काम सबसे बड़ा होता है। मैंने सीखा कि एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस महामारी ने मेरे कार्यों को एक नए दृष्टिकोण से देखा और मुझे समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करने के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। कोविड-19 महामारी के दौरान समाज सेवा का अनुभव मेरे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा। इसने मुझे यह सिखाया कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इस अनुभव ने मुझे यह एहसास दिलाया कि समाज सेवा केवल संकट के समय नहीं, बल्कि हर समय और हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। मुझे गर्व है कि मैं समाज की सेवा में इस समय का हिस्सा बन पाई और इस कठिन घड़ी में अपनी भूमिका निभा पाई।

महिलाओं की सेवा और उनके कल्याण के लिए काम करना मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहा है, खासकर कोविड-19 के दौरान जब समाज में महिलाओं के सामने कई तरह की नई चुनौतियाँ आईं। इस कठिन समय में मैंने महिलाओं की सहायता करने के लिए कई तरह के कदम उठाए। कोविड-19 महामारी ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, और मेरी कोशिश थी कि मैं इस समय में उनकी मदद कर सकूं। यहां मैं अपनी अनुभवों और प्रयासों के बारे में बता रही हूं कि कैसे मैंने कोविड-19 के दौरान महिलाओं की सेवा की:

कोविड-19 महामारी के दौरान, महिलाओं को अपनी और अपने परिवार की देखभाल के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई महिलाओं के पास पर्याप्त स्वास्थ्य जानकारी नहीं थी और वे कोविड-19 के लक्षण, उपचार और सुरक्षा उपायों से अनजान थीं।

मैंने और मेरे संगठन के साथियों ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आदि। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण महिलाओं में मानसिक तनाव और अवसाद की समस्या बढ़ गई थी। कई गरीब और गांवों में रहने वाली महिलाएं महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा सामग्री जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, और दवाइयों से वंचित थीं। मैंने इन महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरित की ताकि वे सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। महामारी के दौरान महिलाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, खासकर जो घरेलू कामकाजी या छोटे व्यवसायों में लगी थीं। लॉकडाउन के कारण उन्हें आय के साधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। मैंने और मेरे साथियों ने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया। इन कार्यशालाओं में उन्हें छोटे-छोटे व्यवसाय, जैसे हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई, और अन्य घरेलू उत्पादन कार्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य था कि वे महामारी के बाद अपने परिवार का पालन-पोषण स्वावलंबी तरीके से कर सकें। इसके अलावा, मैंने जरूरतमंद महिलाओं को राशन, नकद सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान की, ताकि वे इस संकट से बाहर निकल सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। कोविड-19 ने महिलाओं की शिक्षा पर भी गहरा असर डाला। बहुत सी महिलाएं जो पहले ही शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई थीं, लॉकडाउन के कारण और भी मुश्किलों का सामना करने लगीं। कई ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों में महिलाएं घर में रहकर बच्चों की देखभाल करती थीं, जिससे उनकी पढ़ाई रुक गई थी।

मैंने और मेरे संगठन के साथियों ने महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा के अवसर जुटाने की कोशिश की। हमने मुफ्त शिक्षा सामग्री प्रदान की और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि वे भी अपने बच्चों की शिक्षा में मदद कर

सकें और खुद भी कुछ नया सीख सकें। महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए गए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इनमें सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर शिक्षा, और अन्य जरूरी जीवन कौशल शामिल थे। इससे महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो सकीं।

महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक शोषण के मामलों में वृद्धि हुई। कोविड-19 के दौरान, जब लॉकडाउन लागू हुआ, तो कई महिलाएं घरों में बंद हो गईं और उन्हें सुरक्षा का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था। मैंने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया और यह बताया कि यदि वे हिंसा का शिकार हो रही हैं तो उन्हें कहां मदद मिल सकती है। मैंने स्थानीय पुलिस और महिला हेल्पलाइन नंबरों से जुड़कर महिलाओं को सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी और जरूरतमंद महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई। कई महिलाएं घरेलू हिंसा और शोषण के मामलों में कानूनी सहायता की तलाश कर रही थीं। मैंने उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया और यह सुनिश्चित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।

महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य को एक प्रमुख मुद्दा बना दिया था, खासकर महिलाओं के लिए। घरेलू जिम्मेदारियों, काम का दबाव, और कोविड-19 के भय ने उन्हें मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार बना दिया था।
मैंने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई ऑनलाइन सत्र आयोजित किए, जहां उन्हें मानसिक तनाव को कम करने के उपाय, योग और ध्यान के बारे में बताया गया। इस दौरान महिलाओं को यह सिखाया गया कि वे कैसे अपनी स्थिति से बाहर निकलकर मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकती हैं।

मैंने महिलाओं के लिए समूहों का निर्माण किया, ताकि वे एक दूसरे से अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा कर सकें। यह आत्म-संवर्धन और मानसिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। महिलाओं की सेवा करना मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रेरणा रही है। कोविड-19 के दौरान, जब समाज की अन्य समस्याएं उभर रही थीं, तब महिलाओं के सामने कई नई चुनौतियाँ आईं। इस कठिन समय में उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करना मेरे लिए गर्व की बात रही। यह अनुभव मुझे यह सिखाता

है कि संकट के समय समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जैसे महिलाएं, की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण है, और यह तभी संभव है जब हम समाज में एकजुटता और समर्थन का माहौल बनाएं। महिलाओं की सेवा करने से ना सिर्फ उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि पूरे समाज की स्थिति में भी सुधार होता है।

महिलाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, खासकर कोविड-19 के दौरान, मैंने उन्हें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। यह मार्गदर्शन उनके मानसिक, शारीरिक, और आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया गया। यहां कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर मैंने उन्हें मार्गदर्शन दिया। कोविड-19 महामारी के दौरान, महिलाओं को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों का पालन करने की आवश्यकता थी। मैंने उन्हें निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया:

- **स्वास्थ्य सुरक्षा**: मास्क पहनना, हाथों को बारग बनाए बार धोना और सोशल डिस्टेंसिं- रखना। साथ ही, उन्हें वायरस के लक्षणों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया, ताकि वे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें।
- **टीकाकरण**: मैंने महिलाओं को कोविड-19 के टीके के महत्व के बारे में बताया और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इससे न केवल वे सुरक्षित रहतीं, बल्कि वे परिवार और समुदाय को भी बचा सकती थीं।
- **मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान**: कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव और चिंता एक सामान्य समस्या बन गई थी। मैंने महिलाओं को ध्यान, योग, और मानसिक शांति के उपायों के बारे में बताया, ताकि वे तनाव को कम कर सकें और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें।

2. आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए मार्गदर्शन

महामारी ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया, विशेषकर उन महिलाओं को जो घरों में काम करती थीं या छोटे व्यवसायों से जुड़ी थीं। मैंने उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन दिया:

- **स्वरोजगार के अवसर**: महिलाओं को स्वरोजगार के अवसरों के बारे में बताया, जैसे कि सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प, और अन्य घरेलू कामों से जुड़ी शिक्षा। मैंने उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें।
- **ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग**: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके महिलाएं ऑनलाइन उत्पाद बेच सकती थीं या घर से काम कर सकती थीं। मैंने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्म

और ऑनलाइन व्यापार के बारे में बताया, ताकि वे अपने उत्पादों को बेच सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।

महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन आया था। कई महिलाओं की शिक्षा रुक गई थी, और इस दौरान उन्हें सीखने के नए अवसरों की आवश्यकता थी। मैंने उन्हें इस दिशा में मार्गदर्शन दिया:

ऑनलाइन शिक्षा: मैंने महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों के बारे में बताया और उनके लिए मुफ्त या सस्ती शिक्षा सामग्री का प्रबंध किया। उन्हें यह समझाया कि घर बैठे भी वे नई स्किल्स सीख सकती हैं।

- **कौशल विकास**: महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यशालाओं के बारे में बताया, जैसे सिलाई, कंप्यूटर शिक्षा, और अन्य जीवन कौशल, ताकि वे अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर अवसर पैदा कर सकें।

मानसिक शांति और तनाव कम करने के उपाय भी किए। महामारी के दौरान महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा था, क्योंकि वे परिवार की देखभाल, काम और अन्य जिम्मेदारियों के बीच तनाव का सामना कर रही थीं। मैंने उन्हें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन दिया:

- **मनोबल बढ़ाने के उपाय**: मैंने उन्हें सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन के बारे में बताया। -है। उन्हें यह समझाया कि कठिन समय में भी हर स्थिति से कुछ सीखने का अवसर होता
- **समूह समर्थन**: महिलाओं को एकदूसरे के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया-, ताकि वे एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करने से मानसिक -दूसरे का मनोबल बढ़ा सकें। समूहों में एक शांति मिलती थी।

सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई थी, और कई महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अनजान थीं। मैंने उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया:

- **घरेलू हिंसा से बचाव**: मैंने महिलाओं को घरेलू हिंसा और शोषण के खिलाफ कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। साथ ही, उन्हें पुलिस, हेल्पलाइन नंबर, और अन्य मदद के स्रोतों के बारे में जागरूक किया।
- **कानूनी सहायता**: महिलाओं को यह बताया कि अगर वे किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का शिकार हैं, तो वे कानूनी मदद ले सकती हैं। मैंने उन्हें स्थानीय महिला हेल्पलाइन और कानूनी सहायता केंद्रों से जोड़ने का प्रयास किया।

6. सामाजिक और मानसिक समर्थन

महामारी के दौरान, महिलाओं को अकेलापन और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा था, खासकर जब वे घरों में फंसी हुई थीं। मैंने उन्हें यह मार्गदर्शन दिया कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और किसी से मदद लेने में संकोच न करें:

- **संवाद और समर्थन**: महिलाओं को यह समझाया कि अपने मानसिक तनाव और भावनाओं को किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से साझा करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, मैंने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से संपर्क करने की सलाह दी।
- **समूह गतिविधियाँ**: मैंने ऑनलाइन समूह गतिविधियाँ आयोजित कीं, जिनमें महिलाएं अपनी समस्याओं और विचारों को साझा कर सकें। इससे उन्हें एक दूसरे से मदद मिली और एकजुटता का अहसास हुआ।

महिलाओं को मार्गदर्शन देना मेरे लिए एक अत्यधिक सार्थक अनुभव था, खासकर कोविड-19 के दौरान, जब दुनिया भर में अनिश्चितता और संकट था। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि महिलाएं किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनकी शक्ति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। मार्गदर्शन के माध्यम से मैंने महिलाओं को यह एहसास दिलाया कि वे किसी भी संकट का सामना कर सकती हैं, बशर्ते वे अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक रहें और आत्मविश्वास से काम करें। एक महिला होने नाते, मुझे भी कोविड-19 महामारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि मेरे समाज सेवा के कार्यों को भी प्रभावित कर रही थीं। महिला होने के नाते कुछ चुनौतियाँ विशेष रूप से मेरे लिए अधिक कठिनाईं लेकर आईं, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

महामारी के दौरान, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक महिला के रूप में, मुझे घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ बाहर जाकर समाज सेवा में भी सक्रिय रहना था, जो काफी तनावपूर्ण था। जब हम राहत कार्यों में जुटे थे, तो हमें कई बार कोविड-19 से संक्रमित लोगों के संपर्क में भी आना पड़ता था। इसके बावजूद, मैं खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर सम्भव कोशिश करती रही, लेकिन कभी-कभी यह चिंता बहुत भारी हो जाती थी कि कहीं मैं वायरस से संक्रमित न हो जाऊं और अपने परिवार को जोखिम में न डाल दूं।

घर और काम के बीच संतुलन बनाना

कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के कारण अधिकांश महिलाएं घर पर ही थीं और घर की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई थीं। मुझे घर के कामकाजी दायित्वों और समाज सेवा के दायित्वों को एक साथ संतुलित करना था। बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, सफाई, और अन्य घरेलू कार्यों के साथ-साथ समाज सेवा के कार्यों को भी गंभीरता से करना एक बड़ी चुनौती थी। कभी-कभी यह महसूस होता था कि मैं दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हूं, और इसका मानसिक दबाव बहुत बढ़ जाता था।

मानसिक और भावनात्मक दबाव

महामारी के दौरान, बहुत सी महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ उत्पन्न हुईं, और मैं भी इसका हिस्सा थी। घर की जिम्मेदारियों और समाज सेवा के कामों के बीच तनाव, महामारी के डर और अनिश्चितता ने मुझे भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित किया। कभी-कभी यह महसूस होता था कि मैं एक महिला के तौर पर सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के भार तले दब रही हूँ। इसके बावजूद, मैंने खुद को संभालने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आस-पास कई और महिलाएं भी इसी स्थिति से गुजर रही हैं।

आर्थिक और व्यावसायिक संकट

कोविड-19 के दौरान, जैसे कि समाज सेवा में काम करने वाली एक महिला के रूप में, हमें कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते समय, हमें खुद भी आर्थिक संसाधनों की कमी महसूस होती थी, क्योंकि महामारी ने लोगों की आय को प्रभावित किया था। कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और वे अपने परिवार के लिए बुनियादी चीजें जुटाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। ऐसे में मैं खुद को यह महसूस करती थी कि मुझे न केवल दूसरों की मदद करनी है, बल्कि मुझे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना था।

सामाजिक दबाव और भूमिका की अपेक्षाएँ

महिलाओं से अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि वे घर के भीतर और बाहर दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। महामारी के दौरान, महिलाओं से उनकी पारंपरिक भूमिका के साथ-साथ समाज सेवा में योगदान देने की अपेक्षाएँ भी बढ़ गईं। कई बार यह महसूस होता था कि समाज में मेरे द्वारा निभाई जा रही भूमिका को ठीक से समझा नहीं जा रहा था। मुझे यह भी लगता था कि एक महिला के रूप में मुझे हमेशा अपने कार्यों के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता था, जबकि पुरुषों के लिए यह उतना मुश्किल नहीं था। यह सामाजिक दबाव और अपेक्षाएँ मानसिक तनाव का कारण बनती थीं।

सुरक्षा और हिंसा से संबंधित मुद्दे

महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई थी, और मुझे भी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हुए ऐसे कई मामलों का सामना करना पड़ा। कई महिलाएं घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण और मानसिक दबाव का सामना कर रही थीं। जब हम इन महिलाओं की मदद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो यह महसूस होता था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण की समस्या हमेशा से मौजूद थी, और इस महामारी ने इसे और गंभीर बना दिया था। इस स्थिति में, खुद एक महिला होने के नाते मुझे यह महसूस होता

था कि यह सब देखकर मेरे दिल में गहरी पीड़ा होती थी और मैं अपनी पूरी ताकत से इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती थी।

समाज में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव

महामारी के दौरान, महिलाओं को सामाजिक असमानता और भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में, महिलाओं को अक्सर सबसे आखिरी में प्राथमिकता दी जाती थी, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाएं हों, राशन की सहायता हो या फिर उनके खुद के अधिकार। मैंने खुद को इन समस्याओं से जूझते हुए पाया, जब मुझे समाज में महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश करनी पड़ी। इससे यह भी महसूस हुआ कि समाज में महिलाओं को लेकर अब भी कई तरह के भेदभाव और पूर्वाग्रह बने हुए हैं, जिन्हें हमें सामूहिक रूप से समाप्त करना होगा।

महामारी के दौरान, एक महिला होने के नाते मुझे कई तरह की व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियाँ सामने आईं। इन चुनौतियों ने मुझे यह सिखाया कि समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। यह अनुभव मुझे आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और दूसरों की मदद करने की शक्ति प्रदान करता है। कोविड-19 ने यह भी सिद्ध कर दिया कि महिलाएं समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, और हमें अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और असमानता को समाप्त करना होगा। कुल मिलाकर, मेरा कोविड-19 के दौरान अनुभव चुनौतीपूर्ण, लेकिन बेहद सशक्त बनाने वाला रहा। महामारी ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं, बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी कई नए रास्ते खोजने की आवश्यकता पड़ी।

घर की जिम्मेदारियाँ, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए भी, यह अनुभव मुझे आत्मविश्वास, सहानुभूति और जिम्मेदारी का अहसास दिलाने वाला था। साथ ही, इस दौरान मैंने यह भी महसूस किया कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं, को इस संकट में सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता थी। मुझे यह समझ में आया कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो

मुश्किलें आसान हो सकती हैं। इस अनुभव ने मुझे और मजबूत किया और समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी को और भी गहरा किया। यह अनुभव एक कठिन यात्रा था, लेकिन इसके जरिए मैंने न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि खुद को भी बेहतर समझा और कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे।

*****

शिक्षा संवाद
2021, 8(1-2): 71-72
ISSN: 2348-5558
©2021, संपादक, शिक्षा संवाद, नई दिल्ली

कविता

कोविड़ का साया

शिखा
सामाजिक कायकर्ता, संवाद शिक्षा समिति

एक साया सा छाया है, चारों ओर गहरा डर,
सपनों की राहों में, बिखर गया है बर्फ़ का मंजर।
दूर कहीं, घरों में बंद हैं सब लोग,
जीवन की चुप्प, खामोश हो गई तन्हा गलियों में ।

सपनों का सिलसिला टूटने लगा है,
आशाओं के दीप बुझने लगे हैं।
सन्नाटों ने घेर ली है एक नई तरह की रात,
मन में सवालों का चलता है तूफ़ान।

कभी मास्क में, कभी डर में, हम जी रहे थे,
लेकिन उम्मीदों की लौ कभी नहीं बुझी थी।
हिम्मत से सामना किया इस महामारी से,
कभी हंसते थे, कभी रुलाते थे ये अंधेरे।

आशा का सूरज फिर से उग आया,
मन में विश्वास, दिल में जलती नयी चाहत।

हम फिर से जीएंगे, हंसी में हंसेंगे,
कोविड से युद्ध हमारा अब खत्म होगा।

अंधेरे में भी उम्मीद की किरण है,
हम सभी मिलकर इसे दूर करेंगे।
कोविड की छाया से हम बाहर निकलेंगे,
समाज की शक्ति से हम इस बुराई को हराएंगे।

*****

संपर्क
शिक्षा संवाद
RZ-673/135, गली न. 19A, साध नगर, पार्ट -2, पालम कालोनी, नई दिल्ली 110045.
दूरभाष - 09868210822. (सम्पादक)
ई मेल - SHEAKSHIKSAMWAD@GMAIL.COM